

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

::मंत्रालय::

महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर
// आदेश //

अटल नगर नवा रायपुर, दिनांक 03/07/2020

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-3/1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आमापारा बालोद, जिला बालोद का प्रबंधन उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति बालोद, जिला-बालोद को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति बालोद, जिला-बालोद को निम्नलिखित पदों के निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान करता है:-

| क्र. | पद का नाम | पदों की संख्या | संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय | प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन |
|------|---|----------------|--------------------------------------|--|
| 1. | प्राचार्य (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | - | प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित पद प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 2. | व्याख्याता गणित (हिंदी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 3. | व्याख्याता समाजिक विज्ञान (हिंदी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 4. | व्याख्याता जीव विज्ञान (हिंदी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 5. | व्याख्याता हिंदी | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 6. | व्याख्याता अंग्रेजी | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 7. | व्याख्याता संस्कृत | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 8. | व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 9. | व्याख्याता जीव विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 10. | व्याख्याता सामाजिक अध्ययन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 11. | प्रधान पाठक प्राथमिक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 12. | प्रधान पाठक पूर्व माध्यम (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 13. | सहायक शिक्षक (हिंदी माध्यम) | 2 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 14. | सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 5 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 15. | शिक्षक (हिंदी माध्यम) | 2 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 16. | शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 4 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 17. | व्यायाम शिक्षक | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |

| | | | | |
|-----|---------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| 18. | ग्रंथपाल | 1 | 22400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 19. | शिक्षक कम्प्यूटर | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 20. | प्रयोगशाला सहायक | 3 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 21. | सहायक ग्रेड-2 | 1 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 22. | सहा.ग्रेड-3 | 1 | 19500 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 23. | भृत्य | 4 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 24. | चौकीदार | 1 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 25. | अंशकालीन सफाई कर्मचारी (2 घंटे) | 2 | कलेक्टर दर-संबंधित जिले के अनुसार | |

3/ प्राचार्य का पद प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित है । अतः इस पद पर समिति द्वारा संविदा नियुक्ति नहीं की जाएगी । अन्य पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है । प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त होते थे तथा उन पर राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति के प्रावधान भी लागू होंगे । संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे । अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे । संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति)नियम, 2012" के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी ।

4/ यह स्वीकृति आदेश वित्त विभाग की सहमति 15.06.2020 के अधीन जारी किया गया है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(ए.आर.खान)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

स्कूल शिक्षा विभाग

रायपुर, दिनांक 03 / 08 / 2020

क्रमांक एफ 23-08 / 2020 / 20-3 / 1

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन, मंत्रालय रायपुर,
 2. निज सचिव, मान.मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर
 3. उप सचिव, मुख्य सचिव, कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन
 4. समस्त संभागायुक्त छत्तीसगढ़
 5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर
 6. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, शंकर नगर, रायपुर, छ.ग. ,
 7. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़
 8. समस्त संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़,
 9. शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आमापारा बालोद, जिला-बालोद एवं उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति बालोद, जिला-बालोद समिति
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::

महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर
// आदेश //

अटल नगर नवा रायपुर, दिनांक 03/06/2020

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-3/2 :: राज्य शासन एतद् द्वारा मनोहर दास वैष्णव शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बलौदाबाजार का प्रबंधन मनोहर दास वैष्णव उत्कृष्ट विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बलौदाबाजार संचालन समिति को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति मनोहर दास वैष्णव उत्कृष्ट विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बलौदाबाजार संचालन समिति को निम्नलिखित पदों के निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान करता है:-

| क्रं. | पद का नाम | पदों की संख्या | संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय | प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन |
|-------|---|----------------|--------------------------------------|--|
| 1. | प्राचार्य (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | - | प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित पद प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 2. | व्याख्याता हिंदी | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 3. | व्याख्याता अंग्रेजी | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 4. | व्याख्याता संस्कृत | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 5. | व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 6. | व्याख्याता जीव विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 7. | व्याख्याता सामाजिक अध्ययन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 8. | प्रधान पाठक प्राथमिक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 9. | प्रधान पाठक पूर्व माध्यम (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 10. | सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 5 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 11. | शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 4 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 12. | व्यायाम शिक्षक | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 13. | ग्रंथपाल | 1 | 22400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 14. | शिक्षक कम्प्यूटर | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 15. | प्रयोगशाला सहायक | 3 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |

| | | | | |
|-----|---------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| 16. | सहायक ग्रेड-2 | 1 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 17. | सहा.ग्रेड-3 | 1 | 19500 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 18. | भृत्य | 4 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 19. | चौकीदार | 1 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 20. | अंशकालीन सफाई कर्मचारी (2 घंटे) | 2 | कलेक्टर दर-संबंधित जिले के अनुसार | |

3/ प्राचार्य का पद प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित है । अतः इस पद पर समिति द्वारा संविदा नियुक्ति नहीं की जाएगी । अन्य पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त होते थे तथा उन पर राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति के प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे । अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति)नियम, 2012" के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी ।

4/ यह स्वीकृति आदेश वित्त विभाग की सहमति 15.06.2020 के अधीन जारी किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,



(ए.आर.खान)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ 23-08 / 2020 / 20-3 / 2

रायपुर, दिनांक 03 / 06 / 2020

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन, मंत्रालय रायपुर,
2. निज सचिव, मान.मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन
4. समस्त संभागायुक्त छत्तीसगढ़
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर
6. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, शंकर नगर, रायपुर, छ.ग. ,
7. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़
8. समस्त संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़,
9. मनोहर दास वैष्णव शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बलौदाबाजार एवं मनोहर दास वैष्णव उत्कृष्ट विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बलौदाबाजार संचालन समिति की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अंग्रेषित ।



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

::मंत्रालय::

महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर
// आदेश //

अटल नगर नवा रायपुर, दिनांक 02 / 08 / 2020

क्रमांक एफ 23-08 / 2020 / 20-3 / 3 :: राज्य शासन एतद् द्वारा कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल, (प्रज्ञा मा.शाला) रामानुजगंज, बलरामपुर का प्रबंधन शासकीय उत्कृष्ट (अंग्रेजी मीडियम) शा. उ.मा.वि. रामानुजगंज प्रज्ञा प्रा.शा./बा.मा.शा., रामानुजगंज संचालन प्रबंधन समिति को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति शासकीय उत्कृष्ट (अंग्रेजी मीडियम) शा.उ.मा.वि. रामानुजगंज प्रज्ञा प्रा.शा./बा.मा.शा., रामानुजगंज संचालन प्रबंधन समिति को निम्नलिखित पदों के निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान करता है:-

| क्र. | पद का नाम | पदों की संख्या | संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय | प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन |
|------|---|----------------|--------------------------------------|--|
| 1. | प्राचार्य (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | - | प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित पद प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 2. | ब्याख्याता हिंदी | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 3. | ब्याख्याता अंग्रेजी | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 4. | ब्याख्याता संस्कृत | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 5. | ब्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 6. | ब्याख्याता कॉमर्स (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 7. | ब्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 8. | ब्याख्याता जीव विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 9. | ब्याख्याता सामाजिक अध्ययन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 10. | ब्याख्याता भौतिकी (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 11. | प्रधान पाठक प्राथमिक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 12. | प्रधान पाठक पूर्व माध्य. (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 13. | सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 5 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 14. | शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 4 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 15. | व्यायाम शिक्षक | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |

| | | | | |
|-----|---------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| 16. | ग्रंथपाल | 1 | 22400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 17. | शिक्षक कम्प्यूटर | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 18. | प्रयोगशाला सहायक | 3 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 19. | सहायक ग्रेड-2 | 1 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 20. | सहा.ग्रेड-3 | 1 | 19500 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 21. | भृत्य | 4 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 22. | चौकीदार | 1 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 23. | अंशकालीन सफाई कर्मचारी (2 घंटे) | 2 | कलेक्टर दर-संबंधित जिले के अनुसार | |

3/ प्राचार्य का पद प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित है । अतः इस पद पर समिति द्वारा संविदा नियुक्ति नहीं की जाएगी । अन्य पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है । प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त होते थे तथा उन पर राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति के प्रावधान भी लागू होंगे । संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे । अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे । संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति)नियम, 2012" के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी ।

4/ यह स्वीकृति आदेश वित्त विभाग की सहमति 15.06.2020 के अधीन जारी किया गया है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,

(ए.आर.खान)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-3/3

रायपुर, दिनांक 03/07/2020

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन, मंत्रालय रायपुर,
2. निज सचिव, मान.मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन
4. समस्त संभागयुक्त छत्तीसगढ़
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर
6. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, शंकर नगर, रायपुर, छ.ग. ,
7. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़
8. समस्त संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़,
9. कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल, (प्रज्ञा मा.शाला) रामानुजगंज, बलरामपुर एवं प्रबंधन उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति शासकीय उत्कृष्ट (अंग्रेजी मीडियम) शा. उ.मा.वि. रामानुजगंज प्रज्ञा प्रा.शा./बा.मा.शा., रामानुजगंज संचालन प्रबंधन समिति

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

::मंत्रालय::

महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर
// आदेश //

अटल नगर नवा रायपुर, दिनांक 03/08/2020


क्रमांक एफ 23-08/2020/20-3/4 :: राज्य शासन एतद् द्वारा बालक उ.मा.वि. वाङ्गफनगर, (शा.प्रज्ञा प्रा. शाला) वाङ्गफ नगर, बलरामपुर का प्रबंधन शासकीय उत्कृष्ट (अंग्रेजी माध्यम) शा.बा. उ.मा.वि. वाङ्गफनगर प्रज्ञा प्रा.शा./बा.मा.शा. चंदौरीपारा संचालन प्रबंधन समिति को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति शासकीय उत्कृष्ट (अंग्रेजी माध्यम) शा.बा.उ.मा.वि. वाङ्गफनगर प्रज्ञा प्रा.शा./बा.मा.शा. चंदौरीपारा संचालन प्रबंधन समिति को निम्नलिखित पदों के निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान करता है:-

| क्रं. | पद का नाम | पदों की संख्या | संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय | प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन |
|-------|---|----------------|--------------------------------------|--|
| 1. | प्राचार्य (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | - | प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित पद प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 2. | व्याख्याता हिंदी | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 3. | व्याख्याता अंग्रेजी | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 4. | व्याख्याता संस्कृत | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 5. | व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 6. | व्याख्याता कॉमर्स (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 7. | व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 8. | व्याख्याता जीव विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 9. | व्याख्याता सामाजिक अध्ययन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 10. | व्याख्याता भौतिकी (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 11. | प्रधान पाठक प्राथमिक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 12. | प्रधान पाठक पूर्व माध्यम (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 13. | सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 5 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 14. | शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 4 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 15. | व्यायाम शिक्षक | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 16. | ग्रंथपाल | 1 | 22400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |

| | | | | |
|-----|---------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| 17. | शिक्षक कम्प्यूटर | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 18. | प्रयोगशाला सहायक | 3 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 19. | सहायक ग्रेड-2 | 1 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 20. | सहा.ग्रेड-3 | 1 | 19500 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 21. | भृत्य | 4 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 22. | चौकीदार | 1 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 23. | अंशकालीन सफाई कर्मचारी (2 घंटे) | 2 | कलेक्टर दर-संबंधित जिले के अनुसार | |

3/ प्राचार्य का पद प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित है । अतः इस पद पर समिति द्वारा संविदा नियुक्ति नहीं की जाएगी । अन्य पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त होते थे तथा उन पर राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति के प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे । अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति)नियम, 2012" के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी ।

4/ यह स्वीकृति आदेश वित्त विभाग की सहमति 15.06.2020 के अधीन जारी किया गया है।


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(ए.आर.खान)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ 23-08 / 2020 / 20-3 / 4
प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक 03 / 06 / 2020

1. अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन, मंत्रालय रायपुर,
2. निज सचिव, मान.मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन
4. समस्त संभागायुक्त छत्तीसगढ़
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर
6. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, शंकर नगर, रायपुर, छ.ग. ,
7. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़
8. समस्त संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़,
9. बालक उ.मा.वि. वाङ्गनगर, (शा.प्रज्ञा प्रा. शाला) वाङ्गनगर, बलरामपुर एवं प्रबंधन उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति शासकीय उत्कृष्ट (अंग्रेजी माध्यम) शा.बा.उ.मा.वि. वाङ्गनगर प्रज्ञा प्रा.शा./बा.मा.शा. बंदौरीपारा संचालन प्रबंधन समिति

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

::मंत्रालय::

महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर
// आदेश //

अटल नगर नवा रायपुर, दिनांक 03/08/2020

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-3/5 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शास.बा.उ.मा. विद्यालय, बलरामपुर (शा. प्रज्ञा प्रा. शाला), बलरामपुर का प्रबंधन शासकीय उत्कृष्ट (अंग्रेजी माध्यम) शा.उ. मा.वि. बलरामपुर प्रा.शा./क.मा.शा. बलरामपुर सोसायटी को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति शासकीय उत्कृष्ट (अंग्रेजी माध्यम) शा.उ.मा.वि. बलरामपुर प्रा.शा./क.मा.शा. बलरामपुर सोसायटी को निम्नलिखित पदों के निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान करता है:-


| क्रं. | पद का नाम | पदों की संख्या | संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय | प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन |
|-------|---|----------------|--------------------------------------|--|
| 1. | प्राचार्य (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | - | प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित पद प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 2. | व्याख्याता हिंदी | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 3. | व्याख्याता अंग्रेजी | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 4. | व्याख्याता संस्कृत | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 5. | व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 6. | व्याख्याता कॉमर्स (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 7. | व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 8. | व्याख्याता जीव विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 9. | व्याख्याता सामाजिक अध्ययन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 10. | व्याख्याता भौतिकी (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 11. | प्रधान पाठक प्राथमिक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 12. | प्रधान पाठक पूर्व माध्य. (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 13. | सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 5 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 14. | शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 4 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 15. | व्यायाम शिक्षक | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 16. | ग्रंथपाल | 1 | 22400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |

| | | | | |
|-----|---------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| 17. | शिक्षक कम्प्यूटर | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 18. | प्रयोगशाला सहायक | 3 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 19. | सहायक ग्रेड-2 | 1 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 20. | सहा.ग्रेड-3 | 1 | 19500 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 21. | भृत्य | 4 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 22. | चौकीदार | 1 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 23. | अंशकालीन सफाई कर्मचारी (2 घंटे) | 2 | कलेक्टर दर-संबंधित जिले के अनुसार | |

3/ प्राचार्य का पद प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित है । अतः इस पद पर समिति द्वारा संविदा नियुक्ति नहीं की जाएगी । अन्य पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है । प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त होते थे तथा उन पर राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति के प्रावधान भी लागू होंगे । संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे । अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे । संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति)नियम, 2012" के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी ।

4/ यह स्वीकृति आदेश वित्त विभाग की सहमति 15.06.2020 के अधीन जारी किया गया है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(ए.आर.खान)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ 23-08 / 2020 / 20-3 / 5
प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक 03 / 06 / 2020

1. अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन, मंत्रालय रायपुर,
2. निज सचिव, मान.मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन
4. समस्त संभागायुक्त छत्तीसगढ़
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर
6. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, शंकर नगर, रायपुर, छ.ग. ,
7. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़
8. समस्त संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़,
9. शास.बा.उ.मा. विद्यालय, बलरामपुर (शा. प्रज्ञा प्रा. शाला), बलरामपुर एवं प्रबंधन उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति शासकीय उत्कृष्ट (अंग्रेजी माध्यम) शा.उ.मा.वि. बलरामपुर प्रा.शा./क.मा.शा. बलरामपुर सोसायटी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अंग्रेषित ।


अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

**छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग**

::मंत्रालय::

**महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर
// आदेश //**

अटल नगर नवा रायपुर, दिनांक 03/06/2020


क्रमांक एफ 23-08/2020/20-3/6 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शास. स्वामी विवेकानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जगदलपुर (नगर निगम) जिला-बस्तर का प्रबंधन स्वामी विवेकानंद उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, नगर निगम, जगदलपुर संचालन प्रबंधन समिति को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति स्वामी विवेकानंद उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, नगर निगम, जगदलपुर संचालन प्रबंधन समिति को निम्नलिखित पदों के निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान करता है:-

| क्र. | पद का नाम | पदों की संख्या | संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय | प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन |
|------|---|----------------|--------------------------------------|--|
| 1. | प्राचार्य (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | — | प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित पद प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 2. | व्याख्याता हिंदी | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 3. | व्याख्याता अंग्रेजी | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 4. | व्याख्याता संस्कृत | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 5. | व्याख्याता रसायन (हिन्दी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 6. | व्याख्याता गणित (हिन्दी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 7. | व्याख्याता जीव विज्ञान (हिन्दी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 8. | व्याख्याता भौतिकी (हिन्दी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 9. | व्याख्याता सामाजिक अध्ययन (हिन्दी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 10. | व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 11. | व्याख्याता जीव विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 12. | व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 13. | व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 14. | व्याख्याता भौतिकी (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 15. | व्याख्याता सामाजिक अध्ययन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 16. | प्रधान पाठक प्राथमिक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 17. | प्रधान पाठक पूर्व माध्य. (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 18. | सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 5 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 19. | शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 4 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |

| | | | | |
|-----|---------------------------------|---|-------|-----------------------------------|
| 20. | व्यायाम शिक्षक | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 21. | ग्रंथपाल | 1 | 22400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 22. | शिक्षक कम्प्यूटर | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 23. | प्रयोगशाला सहायक | 3 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 24. | सहायक ग्रेड-2 | 1 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 25. | सहा.ग्रेड-3 | 1 | 19500 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 26. | भृत्य | 4 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 27. | चौकीदार | 1 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 28. | अंशकालीन सफाई कर्मचारी (2 घंटे) | 2 | | कलेक्टर दर-संबंधित जिले के अनुसार |

3/ प्राचार्य का पद प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित है । अतः इस पद पर समिति द्वारा संविदा नियुक्ति नहीं की जाएगी। अन्य पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त होते थे तथा उन पर राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति के प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति)नियम, 2012" के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।


4/ यह स्वीकृति आदेश वित्त विभाग की सहमति 15.06.2020 के अधीन जारी किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(ए.आर.खान)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ 23-08 / 2020 / 20-3 / 6
प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक 03 / 06 / 2020

1. अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन, मंत्रालय रायपुर,
2. निज सचिव, मान.मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन
4. समस्त संभागायुक्त छत्तीसगढ़
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर
6. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, शंकर नगर, रायपुर, छ.ग. ,
7. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़
8. समस्त संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़,
9. शास. स्वामी विवेकानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जगदलपुर (नगर निगम) जिला-बस्तर एवं प्रबंधन उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति स्वामी विवेकानंद उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, नगर निगम, जगदलपुर संचालन प्रबंधन समिति
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अंग्रेषित ।


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::

महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर
// आदेश //

अटल नगर नवा रायपुर, दिनांक 03/06/2020

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-3/7 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय शिवलाल राठी उच्चतर माध्य. विद्यालय, बेमेतरा का प्रबंधन शिवलाल राठी उत्कृष्ट विद्यालय, बेमेतरा संचालन प्रबंधन समिति को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति शिवलाल राठी उत्कृष्ट विद्यालय, बेमेतरा संचालन प्रबंधन समिति को निम्नलिखित पदों के निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान करता है:-

| क्रं. | पद का नाम | पदों की संख्या | संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय | प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन |
|-------|---|----------------|--------------------------------------|--|
| 1. | प्राचार्य (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | — | प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित पद प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 2. | व्याख्याता हिंदी | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 3. | व्याख्याता अंग्रेजी | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 4. | व्याख्याता संस्कृत | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 5. | व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 6. | व्याख्याता जीव विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 7. | व्याख्याता सामाजिक अध्ययन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 8. | प्रधान पाठक प्राथमिक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 9. | प्रधान पाठक पूर्व माध्य. (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 10. | सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 5 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 11. | शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 4 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 12. | व्यायाम शिक्षक | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 13. | ग्रंथपाल | 1 | 22400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 14. | शिक्षक कम्प्यूटर | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |

| | | | | |
|-----|---------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| 15. | प्रयोगशाला सहायक | 3 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 16. | सहायक ग्रेड-2 | 1 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 17. | सहा.ग्रेड-3 | 1 | 19500 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 18. | भृत्य | 4 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 19. | चौकीदार | 1 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 20. | अंशकालीन सफाई कर्मचारी (2 घंटे) | 2 | कलेक्टर दर-संबंधित जिले के अनुसार | |

3/ प्राचार्य का पद प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित है । अतः इस पद पर समिति द्वारा संविदा नियुक्ति नहीं की जाएगी । अन्य पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है । प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त होते थे तथा उन पर राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति के प्रावधान भी लागू होंगे । संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे । अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे । संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति)नियम, 2012" के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी ।

4/ यह स्वीकृति आदेश वित्त विभाग की सहमति 15.06.2020 के अधीन जारी किया गया है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(ए.आर.खान)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

स्कूल शिक्षा विभाग

रायपुर, दिनांक 03/06/2020

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-3/7

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन, मंत्रालय रायपुर,
2. निज सचिव, मान.मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन
4. समस्त संभागायुक्त छत्तीसगढ़
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर
6. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, शंकर नगर, रायपुर, छ.ग. ,
7. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़
8. समस्त संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़,
9. शासकीय शिवलाल राठी उच्चतर माध्य. विद्यालय, बेमेतरा एवं प्रबंधन उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति शिवलाल राठी उत्कृष्ट विद्यालय, बेमेतरा संचालन प्रबंधन समिति की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

::मंत्रालय::

महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर
// आदेश //

अटल नगर नवा रायपुर, दिनांक 03/08/2020


क्रमांक एफ 23-08/2020/20-3/8 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय कन्या उच्चतर मा.विद्यालय, बीजापुर (लावलीहुड कॉलेज का रिक्त भवन) का प्रबंधन उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम शासकीय क.उ.मा.वि., बीजापुर संचालन प्रबंधन समिति को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम शासकीय क.उ.मा.वि., बीजापुर संचालन प्रबंधन को निम्नलिखित पदों के निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान करता है:-

| क्रं. | पद का नाम | पदों की संख्या | संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय | प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन |
|-------|---|----------------|--------------------------------------|--|
| 1. | प्राचार्य (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | - | प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित पद प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 2. | व्याख्याता हिंदी | 3 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 3. | व्याख्याता अंग्रेजी | 3 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 4. | व्याख्याता संस्कृत | 3 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 5. | व्याख्याता गणित (हिन्दी माध्यम) | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 6. | व्याख्याता जीव विज्ञान (हिन्दी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 7. | व्याख्याता रसायन (हिन्दी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 8. | व्याख्याता अर्थशास्त्र (हिन्दी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 9. | व्याख्याता भूगोल (हिन्दी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 10. | व्याख्याता इतिहास (हिन्दी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 11. | व्याख्याता भौतिकी (हिन्दी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 12. | व्याख्याता कॉमर्स (हिन्दी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 13. | व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 14. | व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 15. | व्याख्याता कॉमर्स (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 16. | व्याख्याता जीव विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 17. | व्याख्याता सामाजिक अध्ययन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 18. | व्याख्याता भौतिकी (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 19. | प्रधान पाठक प्राथमिक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 20. | प्रधान पाठक पूर्व माध्य. (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 21. | सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 6 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 22. | शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 4 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 23. | व्यायाम शिक्षक | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 24. | ग्रंथपाल | 1 | 22400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |

| | | | | |
|-----|---------------------------------|---|-------|-----------------------------------|
| 25. | शिक्षक कम्प्यूटर | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 26. | प्रयोगशाला सहायक | 3 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 27. | सहायक ग्रेड-2 | 1 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 28. | सहा.ग्रेड-3 | 1 | 19500 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 29. | भृत्य | 4 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 30. | चौकीदार | 1 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 31. | अंशकालीन सफाई कर्मचारी (2 घंटे) | 2 | | कलेक्टर दर-संबंधित जिले के अनुसार |

3/ प्राचार्य का पद प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित है । अतः इस पद पर समिति द्वारा संविदा नियुक्ति नहीं की जाएगी । अन्य पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है । प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त होते थे तथा उन पर राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति के प्रावधान भी लागू होंगे । संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे । अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे । संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति)नियम, 2012" के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी ।

4/ यह स्वीकृति आदेश वित्त विभाग की सहमति 15.06.2020 के अधीन जारी किया गया है।


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(ए.आर.खान)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ 23-08 / 2020 / 20-3 / 8

रायपुर, दिनांक 03 / 06 / 2020

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन, मंत्रालय रायपुर,
2. निज सचिव, मान.मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन
4. समस्त संभागयुक्त छत्तीसगढ़
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर
6. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, शंकर नगर, रायपुर, छ.ग. ,
7. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़
8. समस्त संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़,
9. शासकीय कन्या उच्चतर मा.विद्यालय, बीजापुर (लावलीहुड कॉलेज का रिक्त भवन) एवं प्रबंधन उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम शासकीय क.उ.मा.वि., बीजापुर समिति की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

::मंत्रालय::

महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर
// आदेश //

अटल नगर नवा रायपुर, दिनांक 03/06/2020


क्रमांक एफ 23-08/2020/20-3/9 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय उ.मा.वि., तारबहार, बिलासपुर, जिला-बिलासपुर का प्रबंधन शासकीय उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय तारबहार, संचालन प्रबंधन समिति, बिलासपुर को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति शासकीय उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय तारबहार, संचालन प्रबंधन समिति, बिलासपुर को निम्नलिखित पदों के निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान करता है:-

| क्रं. | पद का नाम | पदों की संख्या | संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय | प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन |
|-------|---|----------------|--------------------------------------|--|
| 1. | प्राचार्य (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | - | प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित पद प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 2. | ब्याख्याता हिंदी | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 3. | ब्याख्याता अंग्रेजी | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 4. | ब्याख्याता संस्कृत | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 5. | ब्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 6. | ब्याख्याता जीव विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 7. | ब्याख्याता कॉमर्स (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 8. | ब्याख्याता सामाजिक अध्ययन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 9. | ब्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 10. | ब्याख्याता भौतिकी (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 11. | प्रधान पाठक प्राथमिक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 12. | प्रधान पाठक पूर्व माध्यम (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 13. | सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 5 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 14. | शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 4 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 15. | व्यायाम शिक्षक | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 16. | ग्रंथपाल | 1 | 22400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |

| | | | | |
|-----|---------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| 17. | शिक्षक कम्प्यूटर | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 18. | प्रयोगशाला सहायक | 3 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 19. | सहायक ग्रेड-2 | 1 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 20. | सहा.ग्रेड-3 | 1 | 19500 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 21. | भृत्य | 4 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 22. | चौकीदार | 1 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 23. | अंशकालीन सफाई कर्मचारी (2 घंटे) | 2 | कलेक्टर दर-संबंधित जिले के अनुसार | |

3/ प्राचार्य का पद प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित है । अतः इस पद पर समिति द्वारा संविदा नियुक्ति नहीं की जाएगी । अन्य पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है । प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त होते थे तथा उन पर राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति के प्रावधान भी लागू होंगे । संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे । अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे । संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति)नियम, 2012" के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी ।


4/ यह स्वीकृति आदेश वित्त विभाग की सहमति 15.06.2020 के अधीन जारी किया गया है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(ए.आर.खान)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ 23-08 / 2020 / 20-3 / 9
प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक 03 / 06 / 2020

1. अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन, मंत्रालय रायपुर,
2. निज सचिव, मान.मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन
4. समस्त संभागायुक्त छत्तीसगढ़
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर
6. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, शंकर नगर, रायपुर, छ.ग. ,
7. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़
8. समस्त संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़,
9. शासकीय उ.मा.वि., तारबहार, बिलासपुर, जिला-बिलासपुर एवं प्रबंधन उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति शासकीय उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय तारबहार, संचालन प्रबंधन समिति, बिलासपुर समिति की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

::मंत्रालय::

महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर
// आदेश //

अटल नगर नवा रायपुर, दिनांक 07/08/2020

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-3/10 :: राज्य शासन एतद् द्वारा लाला लाजपतराय उ.मा.वि., खपरगंज, बिलासपुर, जिला-बिलासपुर का प्रबंधन शासकीय उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय लाला लाजपतराय संचालन प्रबंधन समिति बिलासपुर को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति शासकीय उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय, लाला लाजपतराय संचालन प्रबंधन समिति बिलासपुर को निम्नलिखित पदों के निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान करता है:-

| क्रं. | पद का नाम | पदों की संख्या | संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय | प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन |
|-------|---|----------------|--------------------------------------|--|
| 1. | प्राचार्य (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | — | प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित पद प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 2. | व्याख्याता हिंदी | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 3. | व्याख्याता अंग्रेजी | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 4. | व्याख्याता संस्कृत | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 5. | व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 6. | व्याख्याता जीव विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 7. | व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 8. | व्याख्याता सामाजिक अध्ययन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 9. | व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 10. | व्याख्याता भौतिकी (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 11. | प्रधान पाठक प्राथमिक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 12. | प्रधान पाठक पूर्व माध्यम (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 13. | सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 5 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 14. | शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 4 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 15. | व्यायाम शिक्षक | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 16. | ग्रंथपाल | 1 | 22400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |

| | | | | |
|-----|---------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| 17. | शिक्षक कम्प्यूटर | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 18. | प्रयोगशाला सहायक | 3 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 19. | सहायक ग्रेड-2 | 1 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 20. | सहा.ग्रेड-3 | 1 | 19500 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 21. | भृत्य | 4 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 22. | चौकीदार | 1 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 23. | अंशकालीन सफाई कर्मचारी (2 घंटे) | 2 | कलेक्टर दर-संबंधित जिले के अनुसार | |

3/ प्राचार्य का पद प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित है। अतः इस पद पर समिति द्वारा संविदा नियुक्ति नहीं की जाएगी। अन्य पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त होते थे तथा उन पर राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति के प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति)नियम, 2012" के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

4/ यह स्वीकृति आदेश वित्त विभाग की सहमति 15.06.2020 के अधीन जारी किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(ए.आर.खान)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

स्कूल शिक्षा विभाग

रायपुर, दिनांक 03 / 06 / 2020

क्रमांक एफ 23--08 / 2020 / 20-3 / 10

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन, मंत्रालय रायपुर,
2. निज सचिव, मान.मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर,
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन,
4. समस्त संभागायुक्त छत्तीसगढ़,
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर,
6. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, शंकर नगर, रायपुर, छ.ग. .
7. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़,
8. समस्त संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़,
9. लाला लाजपतराय उ.मा.वि., खपरगंज, बिलासपुर, जिला-बिलासपुर एवं प्रबंधन उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति शासकीय उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय, लाला लाजपतराय, संचालन प्रबंधन समिति बिलासपुर समिति की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

::मंत्रालय::

महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर

// आदेश //

अटल नगर नवा रायपुर, दिनांक 03/06/2020

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-3/11 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शास. उ.मा.वि., मंगला, बिलासपुर, जिला- बिलासपुर का प्रबंधन शासकीय उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय, मंगला, बिलासपुर संचालन प्रबंधन समिति को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति शासकीय उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय, मंगला, बिलासपुर संचालन प्रबंधन समिति को निम्नलिखित पदों के निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान करता है:-

| क्रं. | पद का नाम | पदों की संख्या | संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय | प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन |
|-------|---|----------------|--------------------------------------|--|
| 1. | प्राचार्य (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | - | प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित पद प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 2. | ब्याख्याता हिंदी | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 3. | ब्याख्याता अंग्रेजी | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 4. | ब्याख्याता संस्कृत | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 5. | ब्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 6. | ब्याख्याता जीव विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 7. | ब्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 8. | ब्याख्याता सामाजिक अध्ययन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 9. | ब्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 10. | ब्याख्याता भौतिकी (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 11. | प्रधान पाठक प्राथमिक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 12. | प्रधान पाठक पूर्व माध्य. (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 13. | सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 8 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 14. | शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 6 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 15. | ब्यायाम शिक्षक | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 16. | ग्रंथपाल | 1 | 22400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 17. | शिक्षक कम्प्यूटर | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |

| | | | | |
|-----|---------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| 18. | प्रयोगशाला सहायक | 3 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 19. | सहायक ग्रेड-2 | 1 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 20. | सहा. ग्रेड-3 | 1 | 19500 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 21. | भृत्य | 4 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 22. | चौकीदार | 1 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 23. | अंशकालीन सफाई कर्मचारी (2 घंटे) | 2 | कलेक्टर दर-संबंधित जिले के अनुसार | |

3/ प्राचार्य का पद प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित है। अतः इस पद पर समिति द्वारा संविदा नियुक्ति नहीं की जाएगी। अन्य पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त होते थे तथा उन पर राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति के प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति)नियम, 2012" के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

4/ यह स्वीकृति आदेश वित्त विभाग की सहमति 15.06.2020 के अधीन जारी किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(ए.आर.खान)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

स्कूल शिक्षा विभाग

रायपुर, दिनांक 03/06/2020

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-3/11

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन, मंत्रालय रायपुर,
2. निज सचिव, मान.मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर,
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन,
4. समस्त संभागायुक्त छत्तीसगढ़,
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर,
6. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, शंकर नगर, रायपुर, छ.ग. ,
7. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़,
8. समस्त संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़,
9. शास. उ.मा.वि., मंगला, बिलासपुर, जिला- बिलासपुर एवं प्रबंधन उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति शासकीय उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय, मंगला, बिलासपुर संचालन प्रबंधन समिति की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

::मंत्रालय::

महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर

// आदेश //

अटल नगर नवा रायपुर, दिनांक 03/06/2020

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-3/12 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शास. नवीन हाईस्कूल, दंतेवाड़ा का प्रबंधन नवीन पूर्व माध्यमिक शाला, दंतेवाड़ा संचालन प्रबंधन समिति को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति नवीन पूर्व माध्यमिक शाला, दंतेवाड़ा संचालन प्रबंधन समिति को निम्नलिखित पदों के निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान करता है:-

| क्रं. | पद का नाम | पदों की संख्या | संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय | प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन |
|-------|---|----------------|--------------------------------------|--|
| 1. | प्राचार्य (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | — | प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित पद प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 2. | ब्याख्याता हिंदी | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 3. | ब्याख्याता अंग्रेजी | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 4. | ब्याख्याता संस्कृत | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 5. | ब्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 6. | ब्याख्याता सामाजिक अध्ययन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 7. | ब्याख्याता जीव विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 8. | प्रधान पाठक प्राथमिक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 9. | प्रधान पाठक पूर्व माध्यम (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 10. | सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 5 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 11. | शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 4 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 12. | सहायक शिक्षक (हिन्दी माध्यम) | 2 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 13. | शिक्षक (हिन्दी माध्यम) | 2 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 14. | व्यायाम शिक्षक | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 15. | ग्रंथपाल | 1 | 22400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 16. | शिक्षक कम्प्यूटर | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 17. | प्रयोगशाला सहायक | 3 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |

| | | | | |
|-----|---------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| 18. | सहायक ग्रेड-2 | 1 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 19. | सहा.ग्रेड-3 | 1 | 19500 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 20. | भृत्य | 4 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 21. | चौकीदार | 1 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 22. | अंशकालीन सफाई कर्मचारी (2 घंटे) | 2 | कलेक्टर दर-संबंधित जिले के अनुसार | |

3/ प्राचार्य का पद प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित है। अतः इस पद पर समिति द्वारा संविदा नियुक्ति नहीं की जाएगी। अन्य पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त होते थे तथा उन पर राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति के प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति)नियम, 2012" के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

4/ यह स्वीकृति आदेश वित्त विभाग की सहमति 15.06.2020 के अधीन जारी किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,

(ए.आर.खान)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-3/12

रायपुर, दिनांक 03/06/2020

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन, मंत्रालय रायपुर,
2. निज सचिव, मान.मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर,
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन,
4. समस्त संभागायुक्त छत्तीसगढ़,
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर,
6. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, शंकर नगर, रायपुर, छ.ग. ,
7. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़,
8. समस्त संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़
9. शास. नवीन हाईस्कूल, दंतेवाड़ा एवं प्रबंधन उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति नवीन पूर्व माध्यमिक शाला, दंतेवाड़ा संचालन प्रबंधन समिति
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

::मंत्रालय::

महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर

// आदेश //

अटल नगर नवा रायपुर, दिनांक 03/06/2020


क्रमांक एफ 23-08/2020/20-3/13 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शास. मेहतरु राम धीवर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बठेना, धमतरी का प्रबंधन मेहतरु राम धीवर उत्कृष्ट विद्यालय शास. उ.मा.वि. बठेना, धमतरी सोसायटी को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति मेहतरु राम धीवर उत्कृष्ट विद्यालय शास. उ.मा.वि. बठेना, धमतरी सोसायटी को निम्नलिखित पदों के निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान करता है:-

| क्रं. | पद का नाम | पदों की संख्या | संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय | प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन |
|-------|---|----------------|--------------------------------------|--|
| 1. | प्राचार्य (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | - | प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित पद प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 2. | व्याख्याता हिंदी | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 3. | व्याख्याता अंग्रेजी | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 4. | व्याख्याता संस्कृत | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 5. | व्याख्याता गणित (हिन्दी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 6. | व्याख्याता जीव विज्ञान (हिन्दी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 7. | व्याख्याता वाणिज्य (हिन्दी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 8. | व्याख्याता सामाजिक अध्ययन (हिन्दी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 9. | व्याख्याता रसायन (हिन्दी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 10. | व्याख्याता भौतिकी (हिन्दी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 11. | व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 12. | व्याख्याता जीव विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 13. | व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 14. | व्याख्याता सामाजिक अध्ययन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 15. | व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 16. | व्याख्याता भौतिकी (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 17. | प्रधान पाठक प्राथमिक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 18. | प्रधान पाठक पूर्व माध्य. (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 19. | सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 5 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 20. | शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 4 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 21. | सहायक शिक्षक (हिन्दी माध्यम) | 3 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 22. | व्यायाम शिक्षक | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 23. | ग्रंथपाल | 1 | 22400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |

| | | | | |
|-----|---------------------------------|---|-------|-----------------------------------|
| 24. | शिक्षक कम्प्यूटर | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 25. | प्रयोगशाला सहायक | 3 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 26. | सहायक ग्रेड-2 | 1 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 27. | सहा.ग्रेड-3 | 1 | 19500 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 28. | भृत्य | 4 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 29. | चौकीदार | 1 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 30. | अंशकालीन सफाई कर्मचारी (2 घंटे) | 2 | | कलेक्टर दर-संबंधित जिले के अनुसार |

3/ प्राचार्य का पद प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित है। अतः इस पद पर समिति द्वारा संविदा नियुक्ति नहीं की जाएगी। अन्य पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त होते थे तथा उन पर राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति के प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति)नियम, 2012" के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।


4/ यह स्वीकृति आदेश वित्त विभाग की सहमति 15.06.2020 के अधीन जारी किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(ए.आर.खान)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-3/13
प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक 03/06/2020

1. अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन, मंत्रालय रायपुर,
2. निज सचिव, मान.मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर,
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन,
4. समस्त संभागयुक्त छत्तीसगढ़,
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर,
6. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, शंकर नगर, रायपुर, छ.ग. ,
7. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़,
8. समस्त संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़,
9. शास. मेहतरू राम धीवर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बठेना, धमतरी एवं प्रबंधन उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति मेहतरू राम धीवर उत्कृष्ट विद्यालय शास. उ.मा.वि. बठेना, धमतरी सोसायटी समिति की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

स्कूल शिक्षा विभाग

::मंत्रालय::

महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर

// आदेश //

अटल नगर नवा रायपुर, दिनांक 02/08/2020


क्रमांक एफ 23-08/2020/20-3/14 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय क.उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कुम्हारी, धमधा, दुर्ग का प्रबंधन शासकीय अंग्रेजी माध्यम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संचालन एवं प्रबंधन समिति कुम्हारी, दुर्ग को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति शासकीय अंग्रेजी माध्यम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संचालन एवं प्रबंधन समिति कुम्हारी, दुर्ग को निम्नलिखित पदों के निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान करता है:-

| क्रं. | पद का नाम | पदों की संख्या | संवैदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय | प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन |
|-------|---|----------------|--------------------------------------|--|
| 1. | प्राचार्य (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | - | प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित पद प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 2. | व्याख्याता हिंदी | 3 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 3. | व्याख्याता अंग्रेजी | 3 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 4. | व्याख्याता संस्कृत | 3 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 5. | व्याख्याता रसायन (हिन्दी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 6. | व्याख्याता अर्थशास्त्र (हिन्दी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 7. | व्याख्याता भूगोल (हिन्दी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 8. | व्याख्याता गणित (हिन्दी माध्यम) | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 9. | व्याख्याता जीव विज्ञान (हिन्दी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 10. | व्याख्याता भौतिकी(हिन्दी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 11. | व्याख्याता इतिहास (हिन्दी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 12. | व्याख्याता वाणिज्य (हिन्दी माध्यम) | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 13. | व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 14. | व्याख्याता कॉमर्स (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 15. | व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 16. | व्याख्याता जीव विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 17. | व्याख्याता सामाजिक अध्ययन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 18. | व्याख्याता भौतिकी (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 19. | प्रधान पाठक प्राथमिक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 20. | प्रधान पाठक पूर्व माध्य. (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 21. | सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 10 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 22. | शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 6 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 23. | व्यायाम शिक्षक | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 24. | ग्रंथपाल | 1 | 22400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 25. | शिक्षक कम्प्यूटर | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |

| | | | | |
|-----|---------------------------------|---|-------|-----------------------------------|
| 26. | प्रयोगशाला सहायक | 3 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 27. | सहायक ग्रेड-2 | 1 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 28. | सहा.ग्रेड-3 | 1 | 19500 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 29. | भृत्य | 4 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 30. | चौकीदार | 1 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 31. | अंशकालीन सफाई कर्मचारी (2 घंटे) | 2 | | कलेक्टर दर-संबंधित जिले के अनुसार |

3/ प्राचार्य का पद प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित है। अतः इस पद पर समिति द्वारा संविदा नियुक्ति नहीं की जाएगी। अन्य पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त होते थे तथा उन पर राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति के प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति)नियम, 2012" के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।


4/ यह स्वीकृति आदेश वित्त विभाग की सहमति 15.06.2020 के अधीन जारी किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(ए.आर.खान)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-3/14
प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक 03/06/2020

1. अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन, मंत्रालय रायपुर,
2. निज सचिव, मान.मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर,
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन,
4. समस्त संभागायुक्त छत्तीसगढ़,
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर,
6. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, शंकर नगर, रायपुर, छ.ग. ,
7. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़,
8. समस्त संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़,
9. शासकीय क.उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कुम्हारी, धमधा, दुर्ग एवं प्रबंधन उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति शासकीय अंग्रेजी माध्यम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संचालन एवं प्रबंधन समिति कुम्हारी, दुर्ग समिति की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अंग्रेषित।


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

स्कूल शिक्षा विभाग

::मंत्रालय::

महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर

// आदेश //

अटल नगर नवा रायपुर, दिनांक 03/06/2020


क्रमांक एफ 23-08/2020/20-3/15 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जंजगिरी, धमधा, दुर्ग का प्रबंधन शासकीय अंग्रेजी माध्यम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जंजगिरी संचालन एवं प्रबंधन समिति को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति शासकीय अंग्रेजी माध्यम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जंजगिरी संचालन एवं प्रबंधन समिति को निम्नलिखित पदों के निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान करता है:-

| क्रं. | पद का नाम | पदों की संख्या | संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय | प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन |
|-------|---|----------------|--------------------------------------|--|
| 1. | प्राचार्य (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | - | प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित पद प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 2. | व्याख्याता हिंदी | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 3. | व्याख्याता अंग्रेजी | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 4. | व्याख्याता संस्कृत | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 5. | व्याख्याता रसायन (हिन्दी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 6. | व्याख्याता अर्थशास्त्र (हिन्दी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 7. | व्याख्याता गणित (हिन्दी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 8. | व्याख्याता जीव विज्ञान (हिन्दी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 9. | व्याख्याता भौतिकी (हिन्दी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 10. | व्याख्याता वाणिज्य (हिन्दी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 11. | व्याख्याता राजनीति (हिन्दी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 12. | व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 13. | व्याख्याता कॉमर्स (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 14. | व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 15. | व्याख्याता जीव विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 16. | व्याख्याता सामाजिक अध्ययन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 17. | व्याख्याता भौतिकी (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 18. | प्रधान पाठक प्राथमिक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 19. | प्रधान पाठक पूर्व माध्य. (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 20. | सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 6 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 21. | सहायक शिक्षक (हिन्दी माध्यम) | 2 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 22. | शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 4 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |

| | | | | |
|-----|---------------------------------|---|-------|-----------------------------------|
| 23. | शिक्षक (हिन्दी माध्यम) | 4 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 24. | व्यायाम शिक्षक | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 25. | ग्रंथपाल | 1 | 22400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 26. | शिक्षक कम्प्यूटर | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 27. | प्रयोगशाला सहायक | 3 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 28. | सहायक ग्रेड-2 | 1 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 29. | सहा. ग्रेड-3 | 1 | 19500 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 30. | भृत्य | 4 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 31. | चौकीदार | 1 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 32. | अंशकालीन सफाई कर्मचारी (2 घंटे) | 2 | | कलेक्टर दर-संबंधित जिले के अनुसार |

3/ प्राचार्य का पद प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित है। अतः इस पद पर समिति द्वारा संविदा नियुक्ति नहीं की जाएगी। अन्य पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त होते थे तथा उन पर राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति के प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति)नियम, 2012" के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।


4/ यह स्वीकृति आदेश वित्त विभाग की सहमति 15.06.2020 के अधीन जारी किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(ए.आर.खान)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ 23-08 / 2020 / 20-3 / 15
प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक 03/08/2020

1. अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन, मंत्रालय रायपुर,
2. निज सचिव, मान.मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर,
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन,
4. समस्त संभागायुक्त छत्तीसगढ़,
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर,
6. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, शंकर नगर, रायपुर, छ.ग. ,
7. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़,
8. समस्त संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़,
9. शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जंजगिरी, धमधा, दुर्ग एवं प्रबंधन उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति शासकीय अंग्रेजी माध्यम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जंजगिरी संचालन एवं प्रबंधन समिति की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अंग्रेषित।


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

स्कूल शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर
// आदेश //

अटल नगर नवा रायपुर, दिनांक 03/08/2020

कमांक एफ 23-08/2020/20-3/16 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भिलाई-03, पाटन, दुर्ग नगर निगम का प्रबंधन शासकीय अंग्रेजी माध्यम जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, संचालन एवं प्रबंधन समिति भिलाई-03 पाटन, दुर्ग को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति शासकीय अंग्रेजी माध्यम जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, संचालन एवं प्रबंधन समिति भिलाई-03 पाटन, दुर्ग को निम्नलिखित पदों के निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान करता है:-

| कं. | पद का नाम | पदों की संख्या | संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय | प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन |
|-----|---|----------------|--------------------------------------|--|
| 1. | प्राचार्य (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | - | प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित पद प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 2. | व्याख्याता हिंदी | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 3. | व्याख्याता अंग्रेजी | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 4. | व्याख्याता संस्कृत | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 5. | व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 6. | व्याख्याता जीव विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 7. | व्याख्याता सामाजिक अध्ययन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 8. | व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 9. | व्याख्याता कॉमर्स (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 10. | व्याख्याता भौतिकी (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 11. | प्रधान पाठक प्राथमिक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 12. | प्रधान पाठक पूर्व माध्य. (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 13. | सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 5 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 14. | शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 4 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 15. | व्यायाम शिक्षक | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 16. | ग्रंथपाल | 1 | 22400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 17. | शिक्षक कम्प्यूटर | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 18. | प्रयोगशाला सहायक | 3 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 19. | सहायक ग्रेड-2 | 1 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |

| | | | | |
|-----|---------------------------------|---|-------|-----------------------------------|
| 20. | सहा.ग्रेड-3 | 1 | 19500 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 21. | भृत्य | 4 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 22. | चौकीदार | 1 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 23. | अंशकालीन सफाई कर्मचारी (2 घंटे) | 2 | | कलेक्टर दर-संबंधित जिले के अनुसार |

3/ प्राचार्य का पद प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित है। अतः इस पद पर समिति द्वारा संविदा नियुक्ति नहीं की जाएगी। अन्य पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त होते थे तथा उन पर राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति के प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति)नियम, 2012" के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

4/ यह स्वीकृति आदेश वित्त विभाग की सहमति 15.06.2020 के अधीन जारी किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(ए.आर.खान)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ 23-08 / 2020 / 20-3 / 16

रायपुर, दिनांक 03/06/2020

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन, मंत्रालय रायपुर,
2. निज सचिव, मान.मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर,
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन,
4. समस्त संभागायुक्त छत्तीसगढ़,
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर,
6. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, शंकर नगर, रायपुर, छ.ग. ,
7. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़,
8. समस्त संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़,
9. शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भिलाई-03, पाटन, दुर्ग एवं प्रबंधन उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति शासकीय अंग्रेजी माध्यम जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, संचालन एवं प्रबंधन समिति भिलाई-03 पाटन, दुर्ग समिति की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

स्कूल शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर
// आदेश //

अटल नगर नवा रायपुर, दिनांक 03/06/2020

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-3/17 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सेक्टर-6, भिलाई, दुर्ग का प्रबंधन शासकीय अंग्रेजी माध्यम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संचालन एवं प्रबंधन समिति सेक्टर-6, भिलाई, दुर्ग को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति शासकीय अंग्रेजी माध्यम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संचालन एवं प्रबंधन समिति सेक्टर-6, भिलाई, दुर्ग को निम्नलिखित पदों के निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान करता है:-

| क्रं. | पद का नाम | पदों की संख्या | संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय | प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन |
|-------|---|----------------|--------------------------------------|--|
| 1. | प्राचार्य (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | - | प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित पद प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 2. | व्याख्याता हिंदी | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 3. | व्याख्याता अंग्रेजी | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 4. | व्याख्याता संस्कृत | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 5. | व्याख्याता रसायन (हिन्दी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 6. | व्याख्याता इतिहास (हिन्दी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 7. | व्याख्याता गणित (हिन्दी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 8. | व्याख्याता जीव विज्ञान (हिन्दी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 9. | व्याख्याता भौतिकी (हिन्दी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 10. | व्याख्याता वाणिज्य (हिन्दी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 11. | व्याख्याता भूगोल (हिन्दी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 12. | व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 13. | व्याख्याता जीव विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 14. | व्याख्याता भौतिकी (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 15. | व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 16. | व्याख्याता कॉमर्स (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 17. | व्याख्याता सामाजिक अध्ययन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 18. | प्रधान पाठक प्राथमिक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 19. | प्रधान पाठक पूर्व माध्य. (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 20. | सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 5 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 21. | शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 4 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 22. | शिक्षक (हिन्दी माध्यम) | 3 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 23. | व्यायाम शिक्षक | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |

| | | | | |
|-----|---------------------------------|---|-------|-----------------------------------|
| 24. | ग्रंथपाल | 1 | 22400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 25. | शिक्षक कम्प्यूटर | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 26. | प्रयोगशाला सहायक | 3 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 27. | सहायक ग्रेड-2 | 1 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 28. | सहा.ग्रेड-3 | 1 | 19500 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 29. | भृत्य | 4 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 30. | चौकीदार | 1 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 31. | अंशकालीन सफाई कर्मचारी (2 घंटे) | 2 | | कलेक्टर दर-संबंधित जिले के अनुसार |

3/ प्राचार्य का पद प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित है। अतः इस पद पर समिति द्वारा संविदा नियुक्ति नहीं की जाएगी। अन्य पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त होते थे तथा उन पर राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति के प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति)नियम, 2012" के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

4/ यह स्वीकृति आदेश वित्त विभाग की सहमति 15.06.2020 के अधीन जारी किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(ए.आर.खान)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ 23-08 / 2020 / 20-3 / 17
प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक 03 / 06 / 2020

1. अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन, मंत्रालय रायपुर,
2. निज सचिव, मान.मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर,
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन,
4. समस्त संभागायुक्त छत्तीसगढ़,
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर,
6. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, शंकर नगर, रायपुर, छ.ग. ,
7. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़,
8. समस्त संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़,
9. शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सेक्टर-6, भिलाई, दुर्ग एवं प्रबंधन उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति शासकीय अंग्रेजी माध्यम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संचालन एवं प्रबंधन समिति सेक्टर-6, भिलाई, दुर्ग समिति की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

स्कूल शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर
// आदेश //

अटल नगर नवा रायपुर, दिनांक 03/07/2020
 क्रमांक एफ 23-08/2020/20-3/18 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय हाई. स्कूल, बालाजी नगर, खुर्सीपार, दुर्ग का प्रबंधन शासकीय अंग्रेजी माध्यम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, संचालन एवं प्रबंधन समिति बालाजी नगर, खुर्सीपार, भिलाई, दुर्ग को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति शासकीय अंग्रेजी माध्यम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, संचालन एवं प्रबंधन समिति बालाजी नगर, खुर्सीपार, भिलाई, दुर्ग को निम्नलिखित पदों के निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान करता है:-

| क्रं. | पद का नाम | पदों की संख्या | संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय | प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन |
|-------|---|----------------|--------------------------------------|--|
| 1. | प्राचार्य (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | - | प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित पद प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 2. | ब्याख्याता हिंदी | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 3. | ब्याख्याता अंग्रेजी | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 4. | ब्याख्याता संस्कृत | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 5. | ब्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 6. | ब्याख्याता जीव विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 7. | ब्याख्याता सामाजिक अध्ययन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 8. | प्रधान पाठक प्राथमिक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 9. | प्रधान पाठक पूर्व माध्य. (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 10. | सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 10 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 11. | शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 7 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 12. | व्यायाम शिक्षक | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 13. | ग्रंथपाल | 1 | 22400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |

| | | | | |
|-----|---------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| 14. | शिक्षक कम्प्यूटर | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 15. | प्रयोगशाला सहायक | 3 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 16. | सहायक ग्रेड-2 | 1 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 17. | सहा.ग्रेड-3 | 1 | 19500 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 18. | भृत्य | 4 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 19. | चौकीदार | 1 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 20. | अंशकालीन सफाई कर्मचारी (2 घंटे) | 2 | कलेक्टर दर-संबंधित जिले के अनुसार | |

3/ प्राचार्य का पद प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित है। अतः इस पद पर समिति द्वारा संविदा नियुक्ति नहीं की जाएगी। अन्य पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त होते थे तथा उन पर राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति के प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति)नियम, 2012" के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

4/ यह स्वीकृति आदेश वित्त विभाग की सहमति 15.06.2020 के अधीन जारी किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(ए.आर.खान)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

स्कूल शिक्षा विभाग

रायपुर, दिनांक 03/07/2020

क्रमांक एफ 23-08 / 2020 / 20-3 / 18

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन, मंत्रालय रायपुर,
2. निज सचिव, मान.मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर,
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन,
4. समस्त संभागायुक्त छत्तीसगढ़,
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर,
6. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, शंकर नगर, रायपुर, छ.ग. .
7. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़,
8. समस्त संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़,
9. शासकीय हाई. स्कूल, बालाजी नगर, खुर्सीपार, दुर्ग एवं प्रबंधन उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति शासकीय अंग्रेजी माध्यम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, संचालन एवं प्रबंधन समिति बालाजी नगर, खुर्सीपार, भिलाई, दुर्ग समिति की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अंग्रेषित।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

स्कूल शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर
// आदेश //

अटल नगर नवा रायपुर, दिनांक 03/08/2020


क्रमांक एफ 23-08/2020/20-3/19 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पाटन, दुर्ग का प्रबंधन शासकीय अंग्रेजी माध्यम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संचालन एवं प्रबंधन समिति पाटन, दुर्ग को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति शासकीय अंग्रेजी माध्यम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, संचालन एवं प्रबंधन समिति पाटन, दुर्ग को निम्नलिखित पदों के निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान करता है:-

| क्रं. | पद का नाम | पदों की संख्या | संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय | प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन |
|-------|--|----------------|--------------------------------------|--|
| 1. | प्राचार्य (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | - | प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित पद प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 2. | व्याख्याता हिंदी | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 3. | व्याख्याता अंग्रेजी | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 4. | व्याख्याता संस्कृत | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 5. | व्याख्याता रसायन (हिन्दी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 6. | व्याख्याता भौतिकी (हिन्दी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 7. | व्याख्याता जीव विज्ञान (हिन्दी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 8. | व्याख्याता गणित (हिन्दी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 9. | व्याख्याता कॉमर्स (हिन्दी माध्यम) | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 10. | व्याख्याता भूगोल (हिन्दी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 11. | व्याख्याता इतिहास (हिन्दी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 12. | प्रधान पाठक प्राथमिक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 13. | प्रधान पाठक पूर्व माध्य. (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 14. | सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 5 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 15. | शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 4 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 16. | व्यायाम शिक्षक | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 17. | ग्रंथपाल | 1 | 22400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 18. | शिक्षक कम्प्यूटर | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 19. | प्रयोगशाला सहायक | 3 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 20. | सहायक ग्रेड-2 | 1 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 21. | सहा.ग्रेड-3 | 1 | 19500 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |

| | | | | |
|-----|---------------------------------|---|-------|-----------------------------------|
| 22. | भृत्य | 4 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 23. | चौकीदार | 1 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 24. | अंशकालीन सफाई कर्मचारी (2 घंटे) | 2 | | कलेक्टर दर-संबंधित जिले के अनुसार |

3/ प्राचार्य का पद प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित है। अतः इस पद पर समिति द्वारा संविदा नियुक्ति नहीं की जाएगी। अन्य पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त होते थे तथा उन पर राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति के प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति)नियम, 2012" के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

4/ यह स्वीकृति आदेश वित्त विभाग की सहमति 15.06.2020 के अधीन जारी किया गया है।


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(ए.आर.खान)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ 23-08 / 2020 / 20-3 / 19

रायपुर, दिनांक 03 / 06 / 2020

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन, मंत्रालय रायपुर,
2. निज सचिव, मान.मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर,
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन,
4. समस्त संभागायुक्त छत्तीसगढ़,
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर,
6. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, शंकर नगर, रायपुर, छ.ग. ,
7. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़,
8. समस्त संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़,
9. शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पाटन, दुर्ग एवं प्रबंधन उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति शासकीय अंग्रेजी माध्यम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, संचालन एवं प्रबंधन समिति पाटन, दुर्ग समिति की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

स्कूल शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर
// आदेश //

अटल नगर नवा रायपुर, दिनांक 03/08/2020


क्रमांक एफ 23-08/2020/20-3/20 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय नवीन बालक विद्यालय, गरियाबंद, का प्रबंधन शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, गरियाबंद संचालन प्रबंधन समिति को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, गरियाबंद संचालन प्रबंधन समिति को निम्नलिखित पदों के निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान करता है:-

| क्रं. | पद का नाम | पदों की संख्या | संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय | प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन |
|-------|---|----------------|--------------------------------------|--|
| 1. | प्राचार्य (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | — | प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित पद प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 2. | व्याख्याता हिंदी | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 3. | व्याख्याता अंग्रेजी | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 4. | व्याख्याता संस्कृत | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 5. | व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 6. | व्याख्याता जीव विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 7. | व्याख्याता सामाजिक अध्ययन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 8. | प्रधान पाठक प्राथमिक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 9. | प्रधान पाठक पूर्व माध्य. (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 10. | सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 5 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 11. | शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 4 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 12. | व्यायाम शिक्षक | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 13. | ग्रंथपाल | 1 | 22400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 14. | शिक्षक कम्प्यूटर | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 15. | प्रयोगशाला सहायक | 3 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 16. | सहायक ग्रेड-2 | 1 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 17. | सहा.ग्रेड-3 | 1 | 19500 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |

| | | | | |
|-----|---------------------------------|---|-------|-----------------------------------|
| 18. | भृत्य | 4 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 19. | चौकीदार | 1 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 20. | अंशकालीन सफाई कर्मचारी (2 घंटे) | 2 | | कलेक्टर दर-संबंधित जिले के अनुसार |

3/ प्राचार्य का पद प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित है। अतः इस पद पर समिति द्वारा संविदा नियुक्ति नहीं की जाएगी। अन्य पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त होते थे तथा उन पर राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति के प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति)नियम, 2012" के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।


4/ यह स्वीकृति आदेश वित्त विभाग की सहमति 15.06.2020 के अधीन जारी किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(ए.आर.खान)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ 23-08 / 2020 / 20-3 / 20
प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक 03 / 06 / 2020

1. अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन, मंत्रालय रायपुर,
2. निज सचिव, मान.मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर,
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन,
4. समस्त संभागायुक्त छत्तीसगढ़,
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर,
6. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, शंकर नगर, रायपुर, छ.ग. ,
7. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़,
8. समस्त संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़,
9. शासकीय नवीन बालक विद्यालय, गरियाबंद एवं प्रबंधन उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति
शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, गरियाबंद संचालन प्रबंधन समिति
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

स्कूल शिक्षा विभाग
::मंत्रालयः
महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर
// आदेश //


अटल नगर नवा रायपुर, दिनांक 03/08/2020
 क्रमांक एफ 23-08/2020/20-3/21 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, क्र.-1, जांजगीर का प्रबंधन शासकीय उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय, क्र.-1, जांजगीर संचालन प्रबंधन समिति को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति शासकीय उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय, क्र.-1, जांजगीर संचालन प्रबंधन समिति को निम्नलिखित पदों के निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान करता है:-

| क्रं. | पद का नाम | पदों की संख्या | संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय | प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन |
|-------|---|----------------|--------------------------------------|--|
| 1. | प्राचार्य (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | - | प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित पद प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 2. | व्याख्याता हिंदी | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 3. | व्याख्याता अंग्रेजी | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 4. | व्याख्याता संस्कृत | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 5. | व्याख्याता गणित (हिन्दी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 6. | व्याख्याता जीव विज्ञान (हिन्दी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 7. | व्याख्याता सामाजिक अध्ययन (हिन्दी माध्यम) | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 8. | व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 9. | व्याख्याता जीव विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 10. | व्याख्याता सामाजिक अध्ययन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 11. | व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 12. | व्याख्याता भौतिकी (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 13. | व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 14. | प्रधान पाठक प्राथमिक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 15. | प्रधान पाठक पूर्व माध्य. (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 16. | सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 5 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 17. | शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 4 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 18. | व्यायाम शिक्षक | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 19. | ग्रंथपाल | 1 | 22400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |

| | | | | |
|-----|---------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| 20. | शिक्षक कम्प्यूटर | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 21. | प्रयोगशाला सहायक | 3 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 22. | सहायक ग्रेड-2 | 1 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 23. | सहा.ग्रेड-3 | 1 | 19500 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 24. | भृत्य | 4 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 25. | चौकीदार | 1 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 26. | अंशकालीन सफाई कर्मचारी (2 घंटे) | 2 | कलेक्टर दर-संबंधित जिले के अनुसार | |

3/ प्राचार्य का पद प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित है। अतः इस पद पर समिति द्वारा संविदा नियुक्ति नहीं की जाएगी। अन्य पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त होते थे तथा उन पर राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति के प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति)नियम, 2012" के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।


4/ यह स्वीकृति आदेश वित्त विभाग की सहमति 15.06.2020 के अधीन जारी किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(ए.आर.खान)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-3/21
प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक 03/06/2020

1. अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन, मंत्रालय रायपुर,
2. निज सचिव, मान.मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर,
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन,
4. समस्त संभागायुक्त छत्तीसगढ़,
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर,
6. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, शंकर नगर, रायपुर, छ.ग. ,
7. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़,
8. समस्त संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़,
9. शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, क्र.-1, जांजगीर एवं प्रबंधन उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति शासकीय उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय, क्र.-1, जांजगीर संचालन प्रबंधन समिति की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::

महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर
// आदेश //


अटल नगर नवा रायपुर, दिनांक 03/08/2020
क्रमांक एफ 23-08/2020/20-3/22 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय नवीन उच्चतर माध्य. विद्यालय, सक्ती, जिला-जांजगीर का प्रबंधन शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय सक्ती, संचालन प्रबंधन समिति को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय सक्ती, संचालन प्रबंधन समिति को निम्नलिखित पदों के निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान करता है:-

| क्रं. | पद का नाम | पदों की संख्या | संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय | प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन |
|-------|--|----------------|--------------------------------------|--|
| 1. | प्राचार्य (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | - | प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित पद प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 2. | व्याख्याता वाणिज्य (हिंदी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 3. | व्याख्याता समाजिक अध्ययन (हिंदी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 4. | व्याख्याता जीव विज्ञान (हिंदी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 5. | व्याख्याता हिंदी | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 6. | व्याख्याता अंग्रेजी | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 7. | व्याख्याता संस्कृत | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 8. | व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 9. | व्याख्याता जीव विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 10. | व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 11. | व्याख्याता सामाजिक विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 12. | व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 13. | व्याख्याता भौतिक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 14. | प्रधान पाठक प्राथमिक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 15. | प्रधान पाठक पूर्व माध्य. (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 16. | सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 5 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 17. | शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 4 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 18. | व्यायाम शिक्षक | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 19. | ग्रंथपाल | 1 | 22400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |

| | | | | |
|-----|---------------------------------|---|-------|-----------------------------------|
| 20. | शिक्षक कम्प्यूटर | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 21. | प्रयोगशाला सहायक | 3 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 22. | सहायक ग्रेड-2 | 1 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 23. | सहा. ग्रेड-3 | 1 | 19500 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 24. | भृत्य | 4 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 25. | चौकीदार | 1 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 26. | अंशकालीन सफाई कर्मचारी (2 घंटे) | 2 | | कलेक्टर दर-संबंधित जिले के अनुसार |

3/ प्राचार्य का पद प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित है । अतः इस पद पर समिति द्वारा संविदा नियुक्ति नहीं की जाएगी । अन्य पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है । प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त होते थे तथा उन पर राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति के प्रावधान भी लागू होंगे । संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे । अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे । संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति)नियम, 2012" के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी ।


4/ यह स्वीकृति आदेश वित्त विभाग की सहमति 15.06.2020 के अधीन जारी किया गया है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(ए.आर.खान)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ 23-08 / 2020 / 20-3 / 22
प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक 03 / 06 / 2020

1. अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन, मंत्रालय रायपुर,
2. निज सचिव, मान.मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन
4. समस्त संभागायुक्त छत्तीसगढ़
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर
6. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, शंकर नगर, रायपुर, छ.ग. .
7. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़
8. समस्त संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़,
9. शासकीय नवीन उच्चतर माध्य. विद्यालय, सक्ती, जिला-जांजगीर एवं प्रबंधन उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय सक्ती, संचालन प्रबंधन समिति की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

::मंत्रालय::

महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर
// आदेश //

अटल नगर नवा रायपुर, दिनांक 03/07/2020
क्रमांक एफ 23-08/2020/20-3/23 :: राज्य शासन एतद् द्वारा संकल्प शिक्षण संस्थान, विद्यालय, जशपुर का प्रबंधन शासकीय संकल्प शिक्षण संस्थान, जशपुर सोसायटी को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन शासकीय संकल्प शिक्षण संस्थान, जशपुर सोसायटी को निम्नलिखित पदों के निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान करता है:-

| क्रं. | पद का नाम | पदों की संख्या | संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय | प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन |
|-------|--|----------------|--------------------------------------|--|
| 1. | प्राचार्य (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | - | प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित पद प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 2. | ब्याख्याता हिंदी | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 3. | ब्याख्याता अंग्रेजी | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 4. | ब्याख्याता संस्कृत | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 5. | ब्याख्याता भूगोल/ अर्थशास्त्र (हिंदी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 6. | ब्याख्याता इतिहास/राजनीति (हिंदी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 7. | ब्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 8. | ब्याख्याता जीव विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 9. | ब्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 10. | ब्याख्याता सामाजिक अध्ययन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 11. | ब्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 12. | ब्याख्याता भौतिक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 13. | प्रधान पाठक प्राथमिक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 14. | प्रधान पाठक पूर्व माध्यम (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 15. | सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 5 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 16. | सहायक शिक्षक (हिंदी माध्यम) | 3 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 17. | शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 4 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |

| | | | | |
|-----|---------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| 18. | शिक्षक (हिंदी माध्यम) | 4 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 19. | व्यायाम शिक्षक | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 20. | ग्रंथपाल | 1 | 22400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 21. | शिक्षक कम्प्यूटर | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 22. | प्रयोगशाला सहायक | 3 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 23. | सहायक ग्रेड-2 | 1 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 24. | सहा.ग्रेड-3 | 1 | 19500 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 25. | भृत्य | 4 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 26. | चौकीदार | 1 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 27. | अंशकालीन सफाई कर्मचारी (2 घंटे) | 2 | कलेक्टर दर-संबंधित जिले के अनुसार | |

3/ प्राचार्य का पद प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित है । अतः इस पद पर समिति द्वारा संविदा नियुक्ति नहीं की जाएगी । अन्य पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है । प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त होते थे तथा उन पर राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति के प्रावधान भी लागू होंगे । संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे । अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे । संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति)नियम, 2012" के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी ।

4/ यह स्वीकृति आदेश वित्त विभाग की सहमति 15.06.2020 के अधीन जारी किया गया है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(ए.आर.खान)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

स्कूल शिक्षा विभाग

रायपुर, दिनांक 03/07/2020

क्रमांक एफ 23-08 / 2020 / 20-3 / 23

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन, मंत्रालय रायपुर,
2. निज सचिव, मान.मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन
4. समस्त संभागायुक्त छत्तीसगढ़
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर
6. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, शंकर नगर, रायपुर, छ.ग. .
7. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़
8. समस्त संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़,
9. संकल्प शिक्षण संस्थान, विद्यालय, जशपुर एवं प्रबंधन उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन शासकीय संकल्प शिक्षण संस्थान, जशपुर सोसायटी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

::मंत्रालय::

महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर
// आदेश //


अटल नगर नवा रायपुर, दिनांक 03/08/2020
क्रमांक एफ 23-08/2020/20-3/24 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय नवीन उच्चतर माध्य. विद्यालय, कबीरधाम का प्रबंधन शासकीय नवीन उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय संचालन प्रबंधन समिति कवर्धा को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन शासकीय नवीन उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय संचालन प्रबंधन समिति कवर्धा को निम्नलिखित पदों के निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान करता है:-

| क्रं. | पद का नाम | पदों की संख्या | संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय | प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन |
|-------|---|----------------|--------------------------------------|--|
| 1. | प्राचार्य (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | - | प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित पद प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 2. | व्याख्याता रसायन (हिंदी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 3. | व्याख्याता कामर्स (हिंदी माध्यम) | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 4. | व्याख्याता गणित (हिंदी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 5. | व्याख्याता सामाजिक अध्ययन (हिंदी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 6. | व्याख्याता जीव विज्ञान (हिंदी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 7. | व्याख्याता भौतिकी (हिंदी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 8. | व्याख्याता हिंदी | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 9. | व्याख्याता अंग्रेजी | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 10. | व्याख्याता संस्कृत | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 11. | व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 12. | व्याख्याता जीव विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 13. | व्याख्याता सामाजिक अध्ययन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 14. | व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 15. | व्याख्याता कामर्स (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 16. | व्याख्याता भौतिकी (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 17. | प्रधान पाठक प्राथमिक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 18. | प्रधान पाठक पूर्व माध्य. (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 19. | सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 5 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 20. | शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 4 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |

| | | | | |
|-----|---------------------------------|---|-------|-----------------------------------|
| 21. | व्यायाम शिक्षक | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 22. | ग्रंथपाल | 1 | 22400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 23. | शिक्षक कम्प्यूटर | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 24. | प्रयोगशाला सहायक | 3 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 25. | सहायक ग्रेड-2 | 1 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 26. | सहा.ग्रेड-3 | 1 | 19500 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 27. | भृत्य | 4 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 28. | चौकीदार | 1 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 29. | अंशकालीन सफाई कर्मचारी (2 घंटे) | 2 | | कलेक्टर दर-संबंधित जिले के अनुसार |

3/ प्राचार्य का पद प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित है । अतः इस पद पर समिति द्वारा संविदा नियुक्ति नहीं की जाएगी । अन्य पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है । प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त होते थे तथा उन पर राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति के प्रावधान भी लागू होंगे । संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे । अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे । संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति)नियम, 2012" के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी ।

4/ यह स्वीकृति आदेश वित्त विभाग की सहमति 15.06.2020 के अधीन जारी किया गया है ।


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(ए.आर.खान)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-3/24

रायपुर, दिनांक 03/06/2020

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन, मंत्रालय रायपुर,
2. निज सचिव, मान.मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन
4. समस्त संभागायुक्त छत्तीसगढ़
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर
6. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, शंकर नगर, रायपुर, छ.ग. ,
7. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़
8. समस्त संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़,
9. शासकीय नवीन उच्चतर माध्य. विद्यालय, कबीरधाम एवं प्रबंधन शासकीय नवीन उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय संचालन प्रबंधन समिति कवर्धा
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

**छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::**

**महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर
// आदेश //**

अटल नगर नवा रायपुर, दिनांक 03/05/2020
क्रमांक एफ 23-08/2020/20-3/25 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय नरहरदेव उच्चतर मा.उत्कृष्ट विद्यालय,कांकेर का प्रबंधन शा. नरहरदेव उ. मा. उत्कृष्ट विद्यालय कांकेर जिला उत्तर बस्तर कांकेर संचालन प्रबंधन समिति को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन शा. नरहरदेव उ. मा. उत्कृष्ट विद्यालय कांकेर जिला उत्तर बस्तर कांकेर संचालन प्रबंधन समिति को निम्नलिखित पदों के निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान करता है:-

| क्र. | पद का नाम | पदों की संख्या | संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय | प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन |
|------|---|----------------|--------------------------------------|--|
| 1. | प्राचार्य (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | - | प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित पद प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 2. | व्याख्याता रसायन (हिंदी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 3. | व्याख्याता कामर्स (हिंदी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 4. | व्याख्याता इतिहास (हिंदी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 5. | व्याख्याता गणित (हिंदी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 6. | व्याख्याता समाजिक अध्ययन (हिंदी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 7. | व्याख्याता जीव विज्ञान (हिंदी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 8. | व्याख्याता भौतिकी (हिंदी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 9. | व्याख्याता भूगोल (हिंदी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 10. | व्याख्याता हिंदी | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 11. | व्याख्याता अंग्रेजी | 3 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 12. | व्याख्याता संस्कृत | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 13. | व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 14. | व्याख्याता जीव विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 15. | व्याख्याता सामाजिक अध्ययन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 16. | व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 17. | व्याख्याता कामर्स (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 18. | व्याख्याता भौतिकी (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 19. | प्रधान पाठक प्राथमिक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 20. | प्रधान पाठक पूर्व माध्य. (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 21. | सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 10 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |

| | | | | |
|-----|---------------------------------|---|-------|-----------------------------------|
| 22. | शिक्षक (हिंदी माध्यम) | 3 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 23. | शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 4 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 24. | व्यायाम शिक्षक | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 25. | ग्रंथपाल | 1 | 22400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 26. | शिक्षक कम्प्यूटर | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 27. | प्रयोगशाला सहायक | 3 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 28. | सहायक ग्रेड-2 | 1 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 29. | सहा.ग्रेड-3 | 1 | 19500 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 30. | भृत्य | 4 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 31. | चौकीदार | 1 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 32. | अंशकालीन सफाई कर्मचारी (2 घंटे) | 2 | | कलेक्टर दर-संबंधित जिले के अनुसार |

3/ प्राचार्य का पद प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित है । अतः इस पद पर समिति द्वारा संविदा नियुक्ति नहीं की जाएगी । अन्य पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है । प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त होते थे तथा उन पर राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति के प्रावधान भी लागू होंगे । संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे । अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे । संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति)नियम, 2012" के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी ।

4/ यह स्वीकृति आदेश वित्त विभाग की सहमति 15.06.2020 के अधीन जारी किया गया है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(ए.आर.खान)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-3/25

रायपुर, दिनांक 03/06/2020

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन, मंत्रालय रायपुर,
2. निज सचिव, मान.मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन
4. समस्त संभागायुक्त छत्तीसगढ़
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर
6. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, शंकर नगर, रायपुर, छ.ग. ,
7. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़
8. समस्त संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़,
9. शासकीय नरहरदेव उच्चतर मा.उत्कृष्ट विद्यालय,कांकेर एवं प्रबंधन शा. नरहरदेव उ. मा. उत्कृष्ट विद्यालय कांकेर जिला उत्तर बस्तर कांकेर संचालन प्रबंधन समिति की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::

महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर
// आदेश //

अटल नगर नवा रायपुर, दिनांक 03/06/2020
क्रमांक एफ 23-08/2020/20-3/26 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय उ०मा० विद्यालय, जामकोटपारा, कोण्डागाँव का प्रबंधन उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जामकोटपारा, कोण्डागाँव संचालन प्रबंधन समिति को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जामकोटपारा, कोण्डागाँव संचालन प्रबंधन समिति को निम्नलिखित पदों के निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान करता है:-

| क्रं. | पद का नाम | पदों की संख्या | संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय | प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन |
|-------|---|----------------|--------------------------------------|--|
| 1. | प्राचार्य (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | - | प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित पद प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 2. | व्याख्याता हिंदी | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 3. | व्याख्याता अंग्रेजी | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 4. | व्याख्याता संस्कृत | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 5. | व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 6. | व्याख्याता जीव विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 7. | व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 8. | व्याख्याता सामाजिक अध्ययन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 9. | व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 10. | व्याख्याता भौतिक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 11. | प्रधान पाठक प्राथमिक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 12. | प्रधान पाठक पूर्व माध्य.(अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 13. | सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 5 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 14. | शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 4 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 15. | व्यायाम शिक्षक | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |

| | | | | |
|-----|---------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| 16. | ग्रंथपाल | 1 | 22400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 17. | शिक्षक कम्प्यूटर | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 18. | प्रयोगशाला सहायक | 3 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 19. | सहायक ग्रेड-2 | 1 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 20. | सहा.ग्रेड-3 | 1 | 19500 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 21. | भृत्य | 4 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 22. | चौकीदार | 1 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 23. | अंशकालीन सफाई कर्मचारी (2 घंटे) | 2 | कलेक्टर दर-संबंधित जिले के अनुसार | |

3/ प्राचार्य का पद प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित है । अतः इस पद पर समिति द्वारा संविदा नियुक्ति नहीं की जाएगी । अन्य पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है । प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त होते थे तथा उन पर राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति के प्रावधान भी लागू होंगे । संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे । अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे । संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति)नियम, 2012" के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी ।

4/ यह स्वीकृति आदेश वित्त विभाग की सहमति 15.06.2020 के अधीन जारी किया गया है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(ए.आर.खान)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

स्कूल शिक्षा विभाग

रायपुर, दिनांक 03/06/2020

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-3/26

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन, मंत्रालय रायपुर,
2. निज सचिव, मान. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन
4. समस्त संभागायुक्त छत्तीसगढ़
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर
6. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, शंकर नगर, रायपुर, छ.ग.,
7. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़
8. समस्त संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़,
9. शासकीय उ.मा. विद्यालय, जामकोटपारा, कोण्डागाँव एवं प्रबंधन उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जामकोटपारा, कोण्डागाँव संचालन प्रबंधन समिति की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

स्कूल शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर
// आदेश //

अटल नगर नवा रायपुर, दिनांक 03/08/2020
 क्रमांक एफ 23-08/2020/20-3/27 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय हाईस्कूल, पंप हाउस, कोरबा का प्रबंधन शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय पंपहाउस, कोरबा संचालन प्रबंधन समिति को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय पंपहाउस, कोरबा संचालन प्रबंधन समिति को निम्नलिखित पदों के निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान करता है:-

| क्रं. | पद का नाम | पदों की संख्या | संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय | प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन |
|-------|---|----------------|--------------------------------------|--|
| 1. | प्राचार्य (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | — | प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित पद प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 2. | ब्याख्याता हिंदी | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 3. | ब्याख्याता अंग्रेजी | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 4. | ब्याख्याता संस्कृत | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 5. | ब्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 6. | ब्याख्याता जीव विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 7. | ब्याख्याता सामाजिक अध्ययन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 8. | ब्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 9. | ब्याख्याता भौतिकी (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 10. | प्रधान पाठक प्राथमिक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 11. | प्रधान पाठक पूर्व माध्य. (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 12. | सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 5 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 13. | शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 4 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 14. | व्यायाम शिक्षक | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 15. | ग्रंथपाल | 1 | 22400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 16. | शिक्षक कम्प्यूटर | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 17. | प्रयोगशाला सहायक | 3 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |

| | | | | |
|-----|---------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| 18. | सहायक ग्रेड-2 | 1 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 19. | सहा.ग्रेड-3 | 1 | 19500 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 20. | भृत्य | 4 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 21. | चौकीदार | 1 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 22. | अंशकालीन सफाई कर्मचारी (2 घंटे) | 2 | कलेक्टर दर-संबंधित जिले के अनुसार | |

3/ प्राचार्य का पद प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित है। अतः इस पद पर समिति द्वारा संविदा नियुक्ति नहीं की जाएगी। अन्य पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त होते थे तथा उन पर राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति के प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे। अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति)नियम, 2012" के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

4/ यह स्वीकृति आदेश वित्त विभाग की सहमति 15.06.2020 के अधीन जारी किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(ए.आर.खान)

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-3/27
प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक 03/06/2020

1. अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन, मंत्रालय रायपुर,
2. निज सचिव, मान.मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर,
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन,
4. समस्त संभागायुक्त छत्तीसगढ़,
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर,
6. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, शंकर नगर, रायपुर, छ.ग. ,
7. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़,
8. समस्त संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़,
9. शासकीय हाईस्कूल, पंप हाउस, कोरबा एवं प्रबंधन उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय पंपहाउस, कोरबा संचालन प्रबंधन समिति की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

::मंत्रालय::

महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर
// आदेश //

अटल नगर नवा रायपुर, दिनांक 03/08/2020
क्रमांक एफ 23-08/2020/20-3/28 :: राज्य शासन एतद् द्वारा उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम शास. उ. माध्य. विद्यालय, महलपारा, कोरिया का प्रबंधन शासकीय उ.मा. अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय महलपारा, बैकुंठपुर, संचालन प्रबंधन समिति को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन शासकीय उ.मा. अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय महलपारा, बैकुंठपुर, संचालन प्रबंधन समिति को निम्नलिखित पदों के निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान करता है:-

| क्रं. | पद का नाम | पदों की संख्या | संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय | प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन |
|-------|---|----------------|--------------------------------------|--|
| 1. | प्राचार्य (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | - | प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित पद प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 2. | व्याख्याता हिंदी | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 3. | व्याख्याता अंग्रेजी | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 4. | व्याख्याता संस्कृत | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 5. | व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 6. | व्याख्याता जीव विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 7. | व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 8. | व्याख्याता सामाजिक अध्ययन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 9. | व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 10. | व्याख्याता भौतिक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 11. | प्रधान पाठक प्राथमिक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 12. | प्रधान पाठक पूर्व माध्य.(अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 13. | सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 5 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 14. | शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 4 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 15. | व्यायाम शिक्षक | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 16. | ग्रंथपाल | 1 | 22400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |

| | | | | |
|-----|---------------------------------|---|-------|-----------------------------------|
| 17. | शिक्षक कम्प्यूटर | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 18. | प्रयोगशाला सहायक | 3 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 19. | सहायक ग्रेड-2 | 1 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 20. | सहा.ग्रेड-3 | 1 | 19500 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 21. | भृत्य | 4 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 22. | चौकीदार | 1 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 23. | अंशकालीन सफाई कर्मचारी (2 घंटे) | 2 | | कलेक्टर दर-संबंधित जिले के अनुसार |

3/ प्राचार्य का पद प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित है । अतः इस पद पर समिति द्वारा संविदा नियुक्ति नहीं की जाएगी । अन्य पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है । प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त होते थे तथा उन पर राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति के प्रावधान भी लागू होंगे । संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे । अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे । संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति)नियम, 2012" के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी ।

4/ यह स्वीकृति आदेश वित्त विभाग की सहमति 15.06.2020 के अधीन जारी किया गया है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(ए.आर.खान)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

स्कूल शिक्षा विभाग

रायपुर, दिनांक 03/06/2020

क्रमांक एफ 23-08 / 2020 / 20-3 / 28

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन, मंत्रालय रायपुर,
2. निज सचिव, मान.मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन
4. समस्त संभागायुक्त छत्तीसगढ़
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर
6. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, शंकर नगर, रायपुर, छ.ग. ,
7. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़
8. समस्त संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़,
9. उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम शास. उ. माध्य. विद्यालय, महलपारा, कोरिया एवं प्रबंधन शासकीय उ.मा. अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय महलपारा, बैकुंठपुर, संचालन प्रबंधन समिति की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अंग्रेषित ।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

::मंत्रालय::

महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर
// आदेश //

अटल नगर नवा रायपुर, दिनांक 03/06/2020
क्रमांक एफ 23-08/2020/20-3/29 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय उच्चतर मा. विद्यालय, नयापारा, महासमुंद का प्रबंधन उत्कृष्ट विद्यालय नयापारा, महासमुन्द संचालन प्रबंधन समिति को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन उत्कृष्ट विद्यालय नयापारा महासमुंद संचालन प्रबंधन समिति को निम्नलिखित पदों के निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान करता है:-


| क्रं. | पद का नाम | पदों की संख्या | संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय | प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन |
|-------|---|----------------|--------------------------------------|--|
| 1. | प्राचार्य (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | - | प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित पद प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 2. | ब्याख्याता गणित (हिंदी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 3. | ब्याख्याता समाजिक अध्ययन (हिंदी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 4. | ब्याख्याता जीव विज्ञान (हिंदी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 5. | ब्याख्याता हिंदी | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 6. | ब्याख्याता अंग्रेजी | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 7. | ब्याख्याता संस्कृत | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 8. | ब्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 9. | ब्याख्याता जीव विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 10. | ब्याख्याता सामाजिक अध्ययन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 11. | ब्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 12. | ब्याख्याता कामर्स (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 13. | ब्याख्याता भौतिकी (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 14. | प्रधान पाठक प्राथमिक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 15. | प्रधान पाठक पूर्व माध्यम (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 16. | शिक्षक (हिंदी माध्यम) | 4 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 17. | सहायक शिक्षक (हिंदी माध्यम) | 3 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 18. | सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 5 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |

| | | | | |
|-----|---------------------------------|---|-------|-----------------------------------|
| 19. | शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 4 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 20. | व्यायाम शिक्षक | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 21. | ग्रंथपाल | 1 | 22400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 22. | शिक्षक कम्प्यूटर | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 23. | प्रयोगशाला सहायक | 3 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 24. | सहायक ग्रेड-2 | 1 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 25. | सहा.ग्रेड-3 | 1 | 19500 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 26. | भृत्य | 4 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 27. | चौकीदार | 1 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 28. | अंशकालीन सफाई कर्मचारी (2 घंटे) | 2 | | कलेक्टर दर-संबंधित जिले के अनुसार |

3/ प्राचार्य का पद प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित है । अतः इस पद पर समिति द्वारा संविदा नियुक्ति नहीं की जाएगी । अन्य पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है । प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त होते थे तथा उन पर राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति के प्रावधान भी लागू होंगे । संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे । अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे । संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति)नियम, 2012" के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी ।

4/ यह स्वीकृति आदेश वित्त विभाग की सहमति 15.06.2020 के अधीन जारी किया गया है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(ए.आर.खान)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

स्कूल शिक्षा विभाग

रायपुर, दिनांक 03/06/2020

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-3/29

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन, मंत्रालय रायपुर,
2. निज सचिव, मान.मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन
4. समस्त संभागायुक्त छत्तीसगढ़
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर
6. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, शंकर नगर, रायपुर, छ.ग. ,
7. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़
8. समस्त संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़,
9. शासकीय उच्चतर मा.विद्यालय, नयापारा, महासमुंद एवं प्रबंधन उत्कृष्ट विद्यालय नयापारा महासमुंद संचालन प्रबंधन समिति
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::

महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर
// आदेश //

अटल नगर नवा रायपुर, दिनांक 03/08/2020
क्रमांक एफ 23-08/2020/20-3/30 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय उ.मा.वि. दाऊपारा, मुंगेली जिला-मुंगेली का प्रबंधन शासकीय उच्च माध्यमिक शाला दाऊपारा, मुंगेली संचालन प्रबंधन समिति को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन शासकीय उच्च माध्यमिक शाला दाऊपारा, मुंगेली संचालन प्रबंधन समिति को निम्नलिखित पदों के निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान करता है:-

| क्रं. | पद का नाम | पदों की संख्या | संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय | प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन |
|-------|---|----------------|--------------------------------------|--|
| 1. | प्राचार्य (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | - | प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित पद प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 2. | व्याख्याता वाणिज्य (हिंदी माध्यम) | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 3. | व्याख्याता रसायन (हिंदी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 4. | व्याख्याता भौतिक (हिंदी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 5. | व्याख्याता इतिहास/राजनीति (हिंदी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 6. | व्याख्याता भूगोल/अर्थशास्त्र (हिंदी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 7. | व्याख्याता गणित ((हिंदी माध्यम)) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 8. | व्याख्याता हिंदी | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 9. | व्याख्याता अंग्रेजी | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 10. | व्याख्याता संस्कृत | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 11. | व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 12. | व्याख्याता जीव विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 13. | व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 14. | व्याख्याता सामाजिक अध्ययन(अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 15. | व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 16. | व्याख्याता भौतिक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 17. | प्रधान पाठक प्राथमिक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 18. | प्रधान पाठक पूर्व माध्य.(अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 19. | सहायक शिक्षक (हिंदी माध्यम) | 3 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 20. | शिक्षक (हिंदी माध्यम) | 4 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 21. | सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 5 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |

| | | | | |
|-----|---------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| 22. | शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 4 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 23. | व्यायाम शिक्षक | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 24. | ग्रंथपाल | 1 | 22400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 25. | शिक्षक कम्प्यूटर | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 26. | प्रयोगशाला सहायक | 3 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 27. | सहायक ग्रेड-2 | 1 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 28. | सहा.ग्रेड-3 | 1 | 19500 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 29. | भृत्य | 4 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 30. | चौकीदार | 1 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 31. | अंशकालीन सफाई कर्मचारी (2 घंटे) | 2 | कलेक्टर दर-संबंधित जिले के अनुसार | |

3/ प्राचार्य का पद प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित है । अतः इस पद पर समिति द्वारा संविदा नियुक्ति नहीं की जाएगी । अन्य पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त होते थे तथा उन पर राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति के प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे । अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति)नियम, 2012" के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी ।

4/ यह स्वीकृति आदेश वित्त विभाग की सहमति 15.06.2020 के अधीन जारी किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(ए.आर.खान)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

स्कूल शिक्षा विभाग

रायपुर, दिनांक 03/06/2020

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-3/30

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन, मंत्रालय रायपुर,
2. निज सचिव, मान.मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन
4. समस्त संभागायुक्त छत्तीसगढ़
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर
6. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, शंकर नगर, रायपुर, छ.ग. .
7. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़
8. समस्त संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़,
9. शासकीय उ. मा. वि. दाऊपारा, मुंगेली जिला- मुंगेली एवं प्रबंधन शासकीय उच्च माध्यमिक शाला दाऊपारा, मुंगेली संचालन प्रबंधन समिति
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::

महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर
// आदेश //

अटल नगर नवा रायपुर, दिनांक 03/08/2020

कमांक एफ 23-08/2020/20-3/31 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शास. हाईस्कूल, सिंगोडीतराई, नारायणपुर का प्रबंधन शा.उ.मा. उत्कृष्ट विद्यालय, सिंगोडीतराई संचालन एवं प्रबंधन समिति नारायणपुर को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन शा.उ.मा. उत्कृष्ट विद्यालय, सिंगोडीतराई संचालन एवं प्रबंधन समिति नारायणपुर समिति को निम्नलिखित पदों के निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान करता है:-

| क्रं. | पद का नाम | पदों की संख्या | संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय | प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन |
|-------|---|----------------|--------------------------------------|--|
| 1. | प्राचार्य (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | - | प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित पद प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 2. | ब्याख्याता हिंदी | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 3. | ब्याख्याता अंग्रेजी | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 4. | ब्याख्याता संस्कृत | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 5. | ब्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 6. | ब्याख्याता जीव विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 7. | ब्याख्याता जीव विज्ञान (हिन्दी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 8. | ब्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 9. | ब्याख्याता सामाजिक अध्ययन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 10. | ब्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 11. | ब्याख्याता भौतिक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 12. | प्रधान पाठक प्राथमिक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 13. | प्रधान पाठक पूर्व माध्य. (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 14. | सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 5 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 15. | शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 4 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 16. | शिक्षक (हिन्दी माध्यम) | 3 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 17. | व्यायाम शिक्षक | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 18. | ग्रंथपाल | 1 | 22400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 19. | शिक्षक कम्प्यूटर | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |

| | | | | |
|-----|---------------------------------|---|-------|-----------------------------------|
| 20. | प्रयोगशाला सहायक | 3 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 21. | सहायक ग्रेड-2 | 1 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 22. | सहा.ग्रेड-3 | 1 | 19500 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 23. | भृत्य | 4 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 24. | चौकीदार | 1 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 25. | अंशकालीन सफाई कर्मचारी (2 घंटे) | 2 | | कलेक्टर दर-संबंधित जिले के अनुसार |

3/ प्राचार्य का पद प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित है । अतः इस पद पर समिति द्वारा संविदा नियुक्ति नहीं की जाएगी । अन्य पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है । प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त होते थे तथा उन पर राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति के प्रावधान भी लागू होंगे । संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे । अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे । संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति)नियम, 2012" के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी ।

4/ यह स्वीकृति आदेश वित्त विभाग की सहमति 15.06.2020 के अधीन जारी किया गया है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(ए.आर.खान)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ 23-08 / 2020 / 20-3 / 31

रायपुर, दिनांक 03 / 08 / 2020

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन, मंत्रालय रायपुर,
2. निज सचिव, मान.मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन
4. समस्त संभागायुक्त छत्तीसगढ़
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर
6. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, शंकर नगर, रायपुर, छ.ग. ,
7. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़
8. समस्त संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़,
9. शास. हाईस्कूल, सिंगोडीतराई, नारायणपुर एवं प्रबंधन शा.उ.मा. उत्कृष्ट विद्यालय, सिंगोडीतराई संचालन एवं प्रबंधन समिति नारायणपुर संचालन प्रबंधन समिति की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर
// आदेश //

अटल नगर नवा रायपुर, दिनांक 03/06/2020
क्रमांक एफ 23-08/2020/20-3/32 :: राज्य शासन एतद् द्वारा आर.डी.तिवारी शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, आमापारा, रायपुर का प्रबंधन आर.डी.तिवारी उत्कृष्ट विद्यालय, आमापारा, रायपुर संचालन एवं प्रबंधन समिति को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति आर.डी.तिवारी उत्कृष्ट विद्यालय, आमापारा, रायपुर संचालन एवं प्रबंधन समिति को निम्नलिखित पदों के निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान करता है:-

| क्रं. | पद का नाम | पदों की संख्या | संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय | प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन |
|-------|---|----------------|--------------------------------------|--|
| 1. | प्राचार्य (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | - | प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित पद प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 2. | ब्याख्याता हिंदी | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 3. | ब्याख्याता अंग्रेजी | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 4. | ब्याख्याता संस्कृत | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 5. | ब्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 6. | ब्याख्याता जीवविज्ञान(अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 7. | ब्याख्याता वाणिज्य(अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 8. | ब्याख्याता सामाजिक अध्ययन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 9. | ब्याख्याता भौतिकी(अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 10. | ब्याख्याता रसायन(अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 11. | प्रधान पाठक प्राथमिक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 12. | प्रधान पाठक पूर्व माध्य.(अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 13. | सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 5 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 14. | शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 4 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |

| | | | | |
|-----|---------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| 15. | व्यायाम शिक्षक | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 16. | ग्रंथपाल | 1 | 22400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 17. | शिक्षक कम्प्यूटर | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 18. | प्रयोगशाला सहायक | 3 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 19. | सहायक ग्रेड-2 | 1 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 20. | सहा.ग्रेड-3 | 1 | 19500 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 21. | भृत्य | 4 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 22. | चौकीदार | 1 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 23. | अंशकालीन सफाई कर्मचारी (2 घंटे) | 2 | कलेक्टर दर-संबंधित जिले के अनुसार | |

3/ प्राचार्य का पद प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित है । अतः इस पद पर समिति द्वारा संविदा नियुक्ति नहीं की जाएगी । अन्य पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त होते थे तथा उन पर राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति के प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे । अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति)नियम, 2012" के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी ।

4/ यह स्वीकृति आदेश वित्त विभाग की सहमति 15.06.2020 के अधीन जारी किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(ए.आर.खान)

अवरसचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

स्कूल शिक्षा विभाग

रायपुर, दिनांक 03/06/2020

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-3/32

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन, मंत्रालय रायपुर,
2. निज सचिव, मान.मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन
4. समस्त संभागायुक्त छत्तीसगढ़
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर
6. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, शंकर नगर, रायपुर, छ.ग. ,
7. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़
8. समस्त संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़,
9. आर.डी.तिवारी शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, आमापारा, रायपुर का प्रबंधन उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति आर.डी.तिवारी उत्कृष्ट विद्यालय, आमापारा, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर
// आदेश //

अटल नगर नवा रायपुर, दिनांक 03/08/2020

कमांक एफ 23-08/2020/20-3/33 :: राज्य शासन एतद् द्वारा **बी.पी. पुजारी शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, राजातालाब, रायपुर** का प्रबंधन **बी.पी. पुजारी शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय, राजातालाब, पंडरी, रायपुर** संचालन प्रबंध समिति **रायपुर** को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति **बी.पी. पुजारी शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय, राजातालाब, पंडरी रायपुर** संचालन प्रबंध समिति **रायपुर** को निम्नलिखित पदों के निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान करता है:-

| कं. | पद का नाम | पदों की संख्या | संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय | प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन |
|-----|--|----------------|--------------------------------------|--|
| 1. | प्राचार्य (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | - | प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित पद प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 2. | व्याख्याता हिंदी | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 3. | व्याख्याता अंग्रेजी | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 4. | व्याख्याता संस्कृत | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 5. | व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 6. | व्याख्याता जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 7. | व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 8. | व्याख्याता सामाजिक अध्ययन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 9. | व्याख्याता भौतिकी (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 10. | व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 11. | प्रधान पाठक प्राथमिक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 12. | प्रधान पाठक पूर्व माध्य.(अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 13. | सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 5 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 14. | शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 4 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |

| | | | | |
|-----|---------------------------------|---|-------|-----------------------------------|
| 15. | व्यायाम शिक्षक | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 16. | ग्रंथपाल | 1 | 22400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 17. | शिक्षक कम्प्यूटर | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 18. | प्रयोगशाला सहायक | 3 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 19. | सहायक ग्रेड-2 | 1 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 20. | सहा.ग्रेड-3 | 1 | 19500 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 21. | भृत्य | 4 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 22. | चौकीदार | 1 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 23. | अंशकालीन सफाई कर्मचारी (2 घंटे) | 2 | | कलेक्टर दर-संबंधित जिले के अनुसार |

3/ प्राचार्य का पद प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित है । अतः इस पद पर समिति द्वारा संविदा नियुक्ति नहीं की जाएगी । अन्य पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त होते थे तथा उन पर राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति के प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे । अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति)नियम, 2012" के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी ।

4/ यह स्वीकृति आदेश वित्त विभाग की सहमति 15.06.2020 के अधीन जारी किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(ए.आर.खान)
अवरसचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

रायपुर, दिनांक 03/07/2020

क्रमांक एफ 23-08 / 2020 / 20-3 / 33
प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन, मंत्रालय रायपुर,
2. निज सचिव, मान.मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन
4. समस्त संभागायुक्त छत्तीसगढ़
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर
6. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, शंकर नगर, रायपुर, छ.ग. ,
7. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़
8. समस्त संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़,
9. **बी.पी. पुजारी शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, राजातालाब, रायपुर** एवं प्रबंधन उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति **बी.पी. पुजारी शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय, राजातालाब, पंडरी, रायपुर** की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर
// आदेश //

अटल नगर नवा रायपुर, दिनांक 03/07/2020

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-3/34 :: राज्य शासन एतद् द्वारा **शहीद स्मारक शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, फाफाडीह, रायपुर** का प्रबंधन **शहीद स्मारक शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय, फाफाडीह, रायपुर** संचालन प्रबंध समिति को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति **शहीद स्मारक शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय, फाफाडीह, रायपुर** संचालन प्रबंध समिति को निम्नलिखित पदों के निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान करता है:-

| क्रं. | पद का नाम | पदों की संख्या | संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय | प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन |
|-------|--|----------------|--------------------------------------|--|
| 1. | प्राचार्य (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | - | प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित पद प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 2. | ब्याख्याता हिंदी | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 3. | ब्याख्याता अंग्रेजी | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 4. | ब्याख्याता संस्कृत | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 5. | ब्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 6. | ब्याख्याता जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 7. | ब्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 8. | ब्याख्याता सामाजिक अध्ययन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 9. | ब्याख्याता भौतिकी (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 10. | ब्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 11. | प्रधान पाठक प्राथमिक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 12. | प्रधान पाठक पूर्व माध्य.(अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 13. | सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 5 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 14. | शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 4 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 15. | व्यायाम शिक्षक | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |

| | | | | |
|-----|---------------------------------|---|-------|-----------------------------------|
| 16. | ग्रंथपाल | 1 | 22400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 17. | शिक्षक कम्प्यूटर | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 18. | प्रयोगशाला सहायक | 3 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 19. | सहायक ग्रेड-2 | 1 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 20. | सहा.ग्रेड-3 | 1 | 19500 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 21. | भृत्य | 4 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 22. | चौकीदार | 1 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 23. | अंशकालीन सफाई कर्मचारी (2 घंटे) | 2 | | कलेक्टर दर-संबंधित जिले के अनुसार |

3/ प्राचार्य का पद प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित है । अतः इस पद पर समिति द्वारा संविदा नियुक्ति नहीं की जाएगी । अन्य पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है । प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त होते थे तथा उन पर राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति के प्रावधान भी लागू होंगे । संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे । अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे । संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति)नियम, 2012" के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी ।

4/ यह स्वीकृति आदेश वित्त विभाग की सहमति 15.06.2020 के अधीन जारी किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(ए.आर.खान)

अवरसचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

स्कूल शिक्षा विभाग

रायपुर, दिनांक 03/08/2020

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-3/34

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन, मंत्रालय रायपुर,
2. निज सचिव, मान.मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन
4. समस्त संभागायुक्त छत्तीसगढ़
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर
6. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, शंकर नगर, रायपुर, छ.ग. ,
7. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़
8. समस्त संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़,
9. **शहीद स्मारक शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, फाफाडीह, रायपुर** एवं प्रबंधन उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति **शहीद स्मारक शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय, फाफाडीह, रायपुर** संचालन प्रबंध समिति की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

::मंत्रालय::

महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर
// आदेश //

अटल नगर नवा रायपुर, दिनांक 03/07/2020


क्रमांक एफ 23-08/2020/20-3/35 :: राज्य शासन एतद् द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल शास. उच्चतर माध्य.विद्यालय, रायगढ़ का प्रबंधन सरदार वल्लभ भाई पटेल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नगर पालिका निगम अंग्रेजी माध्यम, रायगढ़ सोसायटी को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नगर पालिका निगम अंग्रेजी माध्यम, रायगढ़ सोसायटी को निम्नलिखित पदों के निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान करता है:-

| क्रं. | पद का नाम | पदों की संख्या | संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय | प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन |
|-------|---|----------------|--------------------------------------|--|
| 1. | प्राचार्य (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | - | प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित पद प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 2. | व्याख्याता हिंदी | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 3. | व्याख्याता अंग्रेजी | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 4. | व्याख्याता संस्कृत | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 5. | व्याख्याता वाणिज्य (हिंदी माध्यम) | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 6. | व्याख्याता सामाजिक अध्ययन (हिंदी माध्यम) | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 7. | व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 8. | व्याख्याता जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 9. | व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 10. | व्याख्याता सामाजिक अध्ययन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 11. | व्याख्याता भौतिकी (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 12. | व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 13. | प्रधान पाठक प्राथमिक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 14. | प्रधान पाठक पूर्व माध्य. (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 15. | शिक्षक (हिंदी माध्यम) | 3 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 16. | सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 5 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 17. | शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 4 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 18. | व्यायाम शिक्षक | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |

| | | | | |
|-----|---------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| 19. | ग्रंथपाल | 1 | 22400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 20. | शिक्षक कम्प्यूटर | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 21. | प्रयोगशाला सहायक | 3 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 22. | सहायक ग्रेड-2 | 1 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 23. | सहा.ग्रेड-3 | 1 | 19500 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 24. | भृत्य | 4 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 25. | चौकीदार | 1 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 26. | अंशकालीन सफाई कर्मचारी (2 घंटे) | 2 | कलेक्टर दर-संबंधित जिले के अनुसार | |

3/ प्राचार्य का पद प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित है । अतः इस पद पर समिति द्वारा संविदा नियुक्ति नहीं की जाएगी । अन्य पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है । प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त होते थे तथा उन पर राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति के प्रावधान भी लागू होंगे । संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे । अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे । संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति)नियम, 2012" के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी ।

4/ यह स्वीकृति आदेश वित्त विभाग की सहमति 15.06.2020 के अधीन जारी किया गया है ।


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(ए.आर.खान)
अवरसचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ 23-08 / 2020 / 20-3 / 35

रायपुर, दिनांक 03 / 08 / 2020

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन, मंत्रालय रायपुर,
2. निज सचिव, मान.मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन
4. समस्त संभागायुक्त छत्तीसगढ़
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर
6. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, शंकर नगर, रायपुर, छ.ग. ,
7. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़
8. समस्त संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़.
9. **सरदार वल्लभ भाई पटेल शास.उच्चतरमाध्य.विद्यालय, रायगढ़** एवं प्रबंधन उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति **सरदार वल्लभ भाई पटेल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नगर पालिका निगम अंग्रेजी माध्यम, रायगढ़** सोसायटी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

::मंत्रालय::

महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर
// आदेश //

अटल नगर नवा रायपुर, दिनांक 03/07/2020

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-3/36 :: राज्य शासन एतद् द्वारा सर्वेश्वर दयाल नगर पालिकनिगम उच्चतर माध्य. विद्यालय, राजनांदगांव प्रबंधन सर्वेश्वर दास नगर पालिका निगम उच्चतर माध्यमिक शाला उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति राजनांदगांव को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति सर्वेश्वर दास नगर पालिका निगम उच्चतर माध्यमिक शाला उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति राजनांदगांव को निम्नलिखित पदों के निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान करता है:-

| क्रं. | पद का नाम | पदों की संख्या | संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय | प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन |
|-------|---|----------------|--------------------------------------|--|
| 1. | प्राचार्य (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | - | प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित पद प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 2. | ब्याख्याता हिंदी | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 3. | ब्याख्याता अंग्रेजी | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 4. | ब्याख्याता संस्कृत | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 5. | ब्याख्याता गणित(हिंदी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 6. | ब्याख्याता जीवविज्ञान(हिंदी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 7. | ब्याख्याता वाणिज्य(हिंदी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 8. | ब्याख्यात सामाजिक अध्ययन (हिंदी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 9. | ब्याख्याता रसायन(हिंदी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 10. | ब्याख्याता भौतिकी(हिंदी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 11. | ब्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 12. | ब्याख्याता जीवविज्ञान(अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 13. | ब्याख्याता वाणिज्य(अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 14. | ब्याख्याता सामाजिक अध्ययन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 15. | ब्याख्याता भौतिकी(अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 16. | ब्याख्याता रसायन(अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 17. | प्रधान पाठक प्राथमिक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 18. | प्रधान पाठक पूर्व माध्य.(अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 19. | सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 5 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 20. | शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 4 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 21. | शिक्षक (हिन्दी माध्यम) | 4 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |

| | | | | |
|-----|---------------------------------|---|-------|-----------------------------------|
| 22. | व्यायाम शिक्षक | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 23. | ग्रंथपाल | 1 | 22400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 24. | शिक्षक कम्प्यूटर | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 25. | प्रयोगशाला सहायक | 3 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 26. | सहायक ग्रेड-2 | 1 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 27. | सहा.ग्रेड-3 | 1 | 19500 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 28. | भृत्य | 4 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 29. | चौकीदार | 1 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 30. | अंशकालीन सफाई कर्मचारी (2 घंटे) | 2 | | कलेक्टर दर-संबंधित जिले के अनुसार |

3/ प्राचार्य का पद प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित है । अतः इस पद पर समिति द्वारा संविदा नियुक्ति नहीं की जाएगी । अन्य पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त होते थे तथा उन पर राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति के प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे । अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति)नियम, 2012" के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी ।

4/ यह स्वीकृति आदेश वित्त विभाग की सहमति 15.06.2020 के अधीन जारी किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(ए.आर.खान)

अवरसचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

स्कूल शिक्षा विभाग

रायपुर, दिनांक 03/08/2020

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-3/36

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन, मंत्रालय रायपुर,
2. निज सचिव, मान.मंत्रो जी स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन
4. समस्त संभागायुक्त छत्तीसगढ़
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर
6. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, शंकर नगर, रायपुर, छ.ग. ,
7. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़
8. समस्त संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़,
9. **सर्वेश्वर दयाल नगर पालिक निगम उच्चतर माध्य. विद्यालय** राजनांदगांव एवं प्रबंधन उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन **सर्वेश्वर दास नगर पालिका निगम उच्चतर माध्यमिक शाला** उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति राजनांदगांव समिति की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

::मंत्रालय::

महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर
// आदेश //

अटल नगर नवा रायपुर, दिनांक 03/08/2020


क्रमांक एफ 23-08/2020/20-3/37 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय हाईस्कूल पावारास, सुकमा का प्रबंधन शासकीय हाईस्कूल पावारास, सुकमा संचालन प्रबंधन समिति सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति शासकीय हाईस्कूल पावारास, सुकमा संचालन प्रबंधन समिति को निम्नलिखित पदों के निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान करता है:-

| क्रं. | पद का नाम | पदों की संख्या | संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय | प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन |
|-------|---|----------------|--------------------------------------|--|
| 1. | प्राचार्य (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | - | प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित पद प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 2. | व्याख्याता हिंदी | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 3. | व्याख्याता अंग्रेजी | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 4. | व्याख्याता संस्कृत | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 5. | व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 6. | व्याख्याता जीवविज्ञान(अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 7. | व्याख्याता वाणिज्य(अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 8. | व्याख्याता सामाजिकअध्ययन(अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 9. | व्याख्याता भौतिकी(अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 10. | व्याख्याता रसायन(अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 11. | प्रधान पाठक प्राथमिक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 12. | प्रधान पाठक पूर्व माध्य.(अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 13. | सहायक शिक्षक(हिंदी माध्यम) | 2 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 14. | सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 5 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 15. | शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 4 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 16. | व्यायाम शिक्षक | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |

| | | | | |
|-----|---------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| 17. | ग्रंथपाल | 1 | 22400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 18. | शिक्षक कम्प्यूटर | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 19. | प्रयोगशाला सहायक | 3 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 20. | सहायक ग्रेड-2 | 1 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 21. | सहा.ग्रेड-3 | 1 | 19500 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 22. | भृत्य | 4 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 23. | चौकीदार | 1 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 24. | अंशकालीन सफाई कर्मचारी (2 घंटे) | 2 | कलेक्टर दर-संबंधित जिले के अनुसार | |

3/ प्राचार्य का पद प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित है । अतः इस पद पर समिति द्वारा संविदा नियुक्ति नहीं की जाएगी । अन्य पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है । प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त होते थे तथा उन पर राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति के प्रावधान भी लागू होंगे । संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे । अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे । संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति)नियम, 2012" के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी ।


4/ यह स्वीकृति आदेश वित्त विभाग की सहमति 15.06.2020 के अधीन जारी किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(ए.आर.खान)
अवरसचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ 23-08 / 2020 / 20-3 / 37
प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक 03/08/2020

1. अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन, मंत्रालय रायपुर,
2. निज सचिव, मान.मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन
4. समस्त संभागायुक्त छत्तीसगढ़
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर
6. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, शंकर नगर, रायपुर, छ.ग. .
7. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़
8. समस्त संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़,
9. शासकीय हाईस्कूल पावारास, सुकमा एवं प्रबंधन उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति शासकीय हाईस्कूल पावारास, सुकमा संचालन प्रबंधन समिति की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

**छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::**

**महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर
// आदेश //**

अटल नगर नवा रायपुर, दिनांक 03/06/2020
क्रमांक एफ 23-08/2020/20-3/38 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यम विद्यालय प्रतापपुर, सूरजपुर का प्रबंधन शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, प्रतापपुर, सूरजपुर संचालन एवं प्रबंधन समिति को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, प्रतापपुर, सूरजपुर संचालन एवं प्रबंधन समिति को निम्नलिखित पदों के निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान करता है:-

| क्रं. | पद का नाम | पदों की संख्या | संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय | प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन |
|-------|--|----------------|--------------------------------------|--|
| 1. | प्राचार्य (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | - | प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित पद प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 2. | ब्याख्याता हिंदी | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 3. | ब्याख्याता अंग्रेजी | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 4. | ब्याख्याता संस्कृत | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 5. | ब्याख्याता इतिहास(हिंदी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 6. | ब्याख्याता राजनीति(हिंदी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 7. | ब्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 8. | ब्याख्याता जीवविज्ञान(अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 9. | ब्याख्याता वाणिज्य(अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 10. | ब्याख्याता सामाजिक अध्ययन(अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 11. | ब्याख्याता भौतिकी(अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 12. | ब्याख्याता रसायन(अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 13. | प्रधान पाठक प्राथमिक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 14. | प्रधान पाठक पूर्व माध्यम(अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 15. | सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 5 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 16. | शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 4 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 17. | व्यायाम शिक्षक | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 18. | ग्रंथपाल | 1 | 22400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |

| | | | | |
|-----|---------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| 19. | शिक्षक कम्प्यूटर | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 20. | प्रयोगशाला सहायक | 3 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 21. | सहायक ग्रेड-2 | 1 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 22. | सहा.ग्रेड-3 | 1 | 19500 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 23. | भृत्य | 4 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 24. | चौकीदार | 1 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 25. | अंशकालीन सफाई कर्मचारी (2 घंटे) | 2 | कलेक्टर दर-संबंधित जिले के अनुसार | |

3/ प्राचार्य का पद प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित है । अतः इस पद पर समिति द्वारा संविदा नियुक्ति नहीं की जाएगी । अन्य पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है । प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त होते थे तथा उन पर राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति के प्रावधान भी लागू होंगे । संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे । अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे । संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति)नियम, 2012" के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी ।

4/ यह स्वीकृति आदेश वित्त विभाग की सहमति 15.06.2020 के अधीन जारी किया गया है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(ए.आर.खान)

अवरसचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ 23-08 / 2020 / 20-3 / 38

रायपुर, दिनांक 03 / 06 / 2020

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन, मंत्रालय रायपुर,
2. निज सचिव, मान.मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन
4. समस्त संभागायुक्त छत्तीसगढ़
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर
6. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, शंकर नगर, रायपुर, छ.ग. ,
7. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़
8. समस्त संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़,
9. शासकीय उच्चतर माध्य.विद्यालय प्रतापपुर, सूरजपुर एवं प्रबंधन उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, प्रतापपुर,सूरजपुर संचालन एवं प्रबंधन समिति की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर
// आदेश //

अटल नगर नवा रायपुर, दिनांक 03/08/2020

क्रमांक एफ 23-08/2020/20-3/39 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय हाईस्कूल ब्रम्हपारा, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा का संचालन प्रबंधन शासकीय उत्कृष्ट (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय, ब्रम्हपारा, अंबिकापुर संचालन प्रबंधन समिति को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति शासकीय उत्कृष्ट (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय, ब्रम्हपारा, अंबिकापुर संचालन प्रबंधन समिति को निम्नलिखित पदों के निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान करता है:-

| क्र. | पद का नाम | पदों की संख्या | संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय | प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन |
|------|--|----------------|--------------------------------------|--|
| 1. | प्राचार्य (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | - | प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित पद प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 2. | व्याख्याता हिंदी | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 3. | व्याख्याता अंग्रेजी | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 4. | व्याख्याता संस्कृत | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 5. | व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 6. | व्याख्याता जीवविज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 7. | व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 8. | व्याख्याता सामाजिकअध्ययन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 9. | व्याख्याता भौतिकी (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 10. | व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 11. | प्रधान पाठक प्राथमिक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 12. | प्रधान पाठक पूर्व माध्य. (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 13. | सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 5 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 14. | शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 4 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 15. | व्यायाम शिक्षक | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |

| | | | | |
|-----|---------------------------------|---|-------|-----------------------------------|
| 16. | ग्रंथपाल | 1 | 22400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 17. | शिक्षक कम्प्यूटर | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 18. | प्रयोगशाला सहायक | 3 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 19. | सहायक ग्रेड-2 | 1 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 20. | सहा.ग्रेड-3 | 1 | 19500 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 21. | भृत्य | 4 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 22. | चौकीदार | 1 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 23. | अंशकालीन सफाई कर्मचारी (2 घंटे) | 2 | | कलेक्टर दर-संबंधित जिले के अनुसार |

3/ प्राचार्य का पद प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित है । अतः इस पद पर समिति द्वारा संविदा नियुक्ति नहीं की जाएगी । अन्य पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है । प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त होते थे तथा उन पर राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति के प्रावधान भी लागू होंगे । संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे । अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे । संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति)नियम, 2012" के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी ।

4/ यह स्वीकृति आदेश वित्त विभाग की सहमति 15.06.2020 के अधीन जारी किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
(ए.आर.खान)
अवरसचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग
रायपुर, दिनांक 03/06/2020

क्रमांक एफ 23-08 / 2020 / 20-3 / 39

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन, मंत्रालय रायपुर,
2. निज सचिव, मान.मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन
4. समस्त संभागायुक्त छत्तीसगढ़
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर
6. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, शंकर नगर, रायपुर, छ.ग. ,
7. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़
8. समस्त संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़,
9. शासकीय हाईस्कूल ब्रम्हपारा, अंबिकापुर एवं प्रबंधन उत्कृष्ट विद्यालयप्रबंधन समिति शासकीय उत्कृष्ट (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय, ब्रम्हपारा, अंबिकापुर संचालन प्रबंधन समिति की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

::मंत्रालय::

महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर
// आदेश //

अटल नगर नवा रायपुर, दिनांक 03/08/2020


क्रमांक एफ 23-08/2020/20-3/40 :: राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय उच्चतर माध्य. विद्यालय, सेमरा, जिला-गौरेला-पेंड्रा-मरवाही का प्रबंधन उत्कृष्ट विद्यालय, सेमरा, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही संचालन एवं प्रबंधन समिति को सौंपता है, जो इस हेतु राज्य शासन के आदेशानुसार विशेष रूप से पंजीकृत की गई है। राज्य शासन उत्कृष्ट विद्यालय, सेमरा, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही संचालन एवं प्रबंधन समिति को निम्नलिखित पदों के निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान करता है:-

| क्रं. | पद का नाम | पदों की संख्या | संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय | प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन |
|-------|---|----------------|--------------------------------------|--|
| 1. | प्राचार्य (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | - | प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित पद प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 2. | व्याख्याता गणित (हिंदी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 3. | व्याख्याता राजनीति विज्ञान (हिंदी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 4. | व्याख्याता भूगोल (हिंदी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 5. | व्याख्याता वाणिज्य (हिंदी माध्यम) | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 6. | व्याख्याता हिंदी | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 7. | व्याख्याता अंग्रेजी | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 8. | व्याख्याता संस्कृत | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 9. | व्याख्याता गणित (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 10. | व्याख्याता जीव विज्ञान (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 11. | व्याख्याता वाणिज्य (अंग्रेजी माध्यम) | 2 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 12. | व्याख्याता सामाजिक अध्ययन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 13. | व्याख्याता भौतिकी (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 14. | व्याख्याता रसायन (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 15. | प्रधान पाठक प्राथमिक (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 16. | प्रधान पाठक पूर्व माध्यम (अंग्रेजी माध्यम) | 1 | 38100 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 17. | सहायक शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 5 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 18. | शिक्षक (हिंदी माध्यम) | 3 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 19. | शिक्षक (अंग्रेजी माध्यम) | 4 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |

| | | | | |
|-----|---------------------------------|---|-------|-----------------------------------|
| 20. | व्यायाम शिक्षक | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 21. | ग्रंथपाल | 1 | 22400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 22. | शिक्षक कम्प्यूटर | 1 | 35400 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 23. | प्रयोगशाला सहायक | 3 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 24. | सहायक ग्रेड-2 | 1 | 25300 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 25. | सहा.ग्रेड-3 | 1 | 19500 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 26. | भृत्य | 4 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 27. | चौकीदार | 1 | 15600 | प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन |
| 28. | अंशकालीन सफाई कर्मचारी (2 घंटे) | 2 | | कलेक्टर दर-संबंधित जिले के अनुसार |

3/ प्राचार्य का पद प्रतिनियुक्ति के लिये आरक्षित है । अतः इस पद पर समिति द्वारा संविदा नियुक्ति नहीं की जाएगी । अन्य पदों को प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा नियुक्ति से भरा जा सकता है। प्रतिनियुक्ति की अवस्था में संबंधित कर्मचारियों वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे जो उसके मूल विभाग में उन्हें प्राप्त होते थे तथा उन पर राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति के प्रावधान भी लागू होंगे। संविदा नियुक्ति की अवस्था में उपरोक्त तालिका में दिये गये एकमुश्त मानदेय देय होंगे । अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति)नियम, 2012" के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी ।


4/ यह स्वीकृति आदेश वित्त विभाग की सहमति 15.06.2020 के अधीन जारी किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(ए.आर.खान)
अवरसचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ 23-08 / 2020 / 20-3 / 40
प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक 03 / 06 / 2020

1. अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन, मंत्रालय रायपुर,
2. निज सचिव, मान.मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय रायपुर
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, कार्यालय छत्तीसगढ़ शासन
4. समस्त संभागायुक्त छत्तीसगढ़
5. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर
6. संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, शंकर नगर, रायपुर, छ.ग.
7. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़
8. समस्त संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग एवं समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़,
9. शासकीय उच्चतरमाध्य. विद्यालय, सेमरा, जिला-गौरिला-पेंडा-मरवाही एवं प्रबंधन उत्कृष्ट विद्यालय, सेमरा, गौरिला-पेंडा-मरवाही संचालन एवं प्रबंधन समिति की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग